[2022] 10 एस. सी. आर 827

मोहम्मद इरफान

वी.

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं। 201-202 2018 का)

11 जुलाई, 2022

[उदय उमेश ललित, हेमंत गुप्ता और

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 121 और 121 ए-एस द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश। 121 - अभियोजन का मामला कि

जाँच अधिकारी, गोलीबारी की घटना की जाँच करते हुए

भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में हुई घटना, पता चला

भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लस्कर-ए-तोइबा (एल. ई. टी.) से संबंधित एक बड़ी साजिश के बारे में-आरोप लगाने वाली एफ. आई. आर. दर्ज

व्यक्ति ए-1 से ए-6, एल. ई. टी. के सक्रिय सदस्य एक अपराधी में प्रवेश कर गए

विस्फोट, निर्दोष लोगों पर हमले; और अभियुक्तों ने विस्फोटक पदार्थ और अन्य आवश्यक हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने और एकत्र करने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने की सूचना-निचली अदालत ने दोषी ठहराया और

अल को ए 6 यू/एस 120 बी, 121 और 121 ए, एसएस की सजा सुनाई गई। 5 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 6 और एस. एस. 25 , 26 तथापि, शस्त्र अधिनियम, 1959 ने उन्हें यू/एस. एस. के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया। 10 और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 13 और एस. एस. 153 ए, 153-बी आई. पी. सी., जबकि ए-7 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था-उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को संशोधित किया-इस न्यायालय के समक्ष अपील में ए-1 और ए-4 से ए-6 के संबंध में अभिनिर्धारित किया गयाः यू/एस द्वारा प्राप्त मंजूरी में कोई कमजोरी नहीं थी। 196 सीआरपीसी-हालांकि

अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, अभियोजन पक्ष के मामले की कुछ विशेषताओं को उनकी गवाही के माध्यम से प्रमाणित किया गया-पुस्तकों और साहित्य की बरामदगी

पंच गवाहों द्वारा समर्थित भड़काऊ सामग्री और संदेश और ए-2 से बरामद पंचनामों-डायरी ने स्पष्ट रूप से उन अभियुक्तों के इरादे को स्थापित किया जो इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने बैठकें कीं और अपने

हस्ताक्षर संलग्न किए थे जिनकी पहचान हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा की गई थी-अभियुक्तों से बरामद विस्फोटक पदार्थों की बड़ी मात्रा संभावित खतरे को दर्शाती है-दुर्भाग्यपूर्ण पर ए-1 की उपस्थिति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चूँकि वह एक स्थानीय व्यक्ति नहीं था-षड्यंत्र, जिसका उद्देश्य बैठकों के कार्यवृत्त और परिणामी से स्पष्ट था उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए हथियारों और विस्फोटकों का अधिग्रहण और

उक्त षड्यंत्र का इरादा, एस में निपटाए गए षड्यंत्र के उत्तरार्ध के भीतर अच्छी तरह से आएगा। 121 ए-एस के स्पष्टीकरण के रूप में। 121 एक खुलासा, साजिश के अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं होगा

कि कोई भी कार्य या अवैध चूक उसके अनुसरण में होनी चाहिए इस प्रकार, भले ही साजिश के परिणामस्वरूप वास्तव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, फिर भी मामला एस के चार कोनों के भीतर आएगा। 121 ए-अभियुक्त यू/एस के खिलाफ दोषसिद्धि। 121 ए किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने सजा को सात साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया है।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908-एस। 5- शस्त्र अधिनियम, 1959-ss. 25 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967। 10 और 13-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.196।

सजा/सजाः सजा की मात्रा में वृद्धि

उच्च न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध के लिए सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। 121 एक आई. पी. सी.-का औचित्य-आयोजितः अगर

अभियुक्त-एल. ई. टी. के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति, बहु-राष्ट्रीय कंपनियों, पूजा स्थलों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने, बम विस्फोट करने, निर्दोष लोगों पर हमले करने की साजिश रची गई थी, इसके परिणामस्वरूप आम जनता के सदस्यों के जीवन और कल्याण के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को भी बहुत नुकसान होता।

सार्वजनिक संपत्ति या सदस्यों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना आम जनता के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दंड संहिता, 1860 की सजा को बढ़ाने में न्यायसंगत ठहराया।

121 ए.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.196-राज्य के खिलाफ अपराधों और आपराधिक साजिश के लिए अभियोजन

ऐसा अपराध-प्रतिबंध यू/एस। 196 – कृपया कि एस के संदर्भ में। 196 , अपराध करने के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

आई. पी. सी. के अध्याय VI के तहत दंडनीय अनिवार्य था और रिकॉर्ड पर रखी गई मंजूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी।

- यू/एस द्वारा दी गई मंजूरी की शुद्धता और वैधता। 196 - आयोजित किया गयाः गृह मंत्री के कार्यालय द्वारा मामले पर विचार किया गया और

मुख्यमंत्री और सहमति मोहम्मद इरफान बनाम में रखे गए प्रस्ताव को दी गई।

कर्नाटक राज्य

व्यवसाय का सामान्य क्रम, जिसके बाद, अवर सचिव द्वारा संचार को संबोधित किया गया था-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मंजूरी सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई थी-एस के संदर्भ में मंजूरी। 196 वैध और उचित था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 जहां तक दंड संहिता की धारा 196 के तहत दी गई मंजूरी की शुद्धता और वैधता का संबंध है प्रक्रिया, 1973, उच्च न्यायालय के निर्णय में दर्ज तथ्यों से पता चलता है कि इस मामले पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा विचार किया गया था और सामान्य कार्य क्रम में रखे गए प्रस्ताव को सहमति दी गई थी, जिसके बाद, अवर सचिव द्वारा संचार को संबोधित किया गया था। इन तथ्यों के सामने, यह निवेदन कि

सक्षम अधिकारियों द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी जिसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दिए गए निष्कर्षों के अनुरूप, संहिता की धारा 196 के संदर्भ में मंजूरी वैध और उचित थी। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दी गई मंजूरी के मामले पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया था और जिस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है, उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 30] [879-ई-जी]

1.2 . अभिलेख पर साक्ष्य को मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या की मौखिक गवाही के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1 8 और 13 और

वसूली के संबंध में साक्ष्य। यह सच है कि अभियोजन पक्ष के गवाह सं। 1 8 और 13 ने शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया और अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। हालाँकि, उनकी गवाही से यह पता चलता है कि उनमें से कुछ न्यास के न्यासी थे, जिनकी कार्यवृत्त पुस्तिका अभिलेख पर प्रस्तुत की गई थी। गवाहों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि न्यास की बैठकें हुई थीं और कुछ अभियुक्त बैठकों में शामिल हुए थे। पीडब्लू4 ने ए-1 सहित विभिन्न अभियुक्तों द्वारा बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी के बारे में विवरण दिया और इस तथ्य के लिए गवाही दी कि उक्त गवाह ने

ए-1 को अपनी बाइक पर रेलवे स्टेशन पर गिरा दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हालाँकि इन गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले की कुछ विशेषताएँ थीं

इन गवाहों की गवाही के माध्यम से पुष्टि की गई। इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट है कि भले ही किसी गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया जाता है, [2022] 10 एस. सी. आर.

ऐसे गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सही तरीका यह है कि उसे उस हद तक स्वीकार किया जाए जब तक उसका बयान सही पाया जाए।

इसकी सावधानीपूर्वक जांच पर निर्भर। इसके अलावा, पुस्तकों और साहित्य की बरामदगी पूरी तरह से समर्थित थी

संबंधित पंच गवाहों और अभिलेख पर पंचनामों द्वारा। किताबों और साहित्य में भड़काऊ सामग्री और संदेश थे। उर्दू में मूल संस्करणों के अनुवाद अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए थे। स्वैच्छिक

बयान जो इस तरह की वसूली और वसूली का कारण बने

अभियोजन पक्ष द्वारा भी खुद को साबित किया गया था। ए-2 से बरामद सामग्री का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा डायरी था। निचली अदालत ने अपने फैसले में विषय-वस्तु के सार और पाठ को काफी सही तरीके से दर्ज किया था। संबंधित अभियुक्तों के हस्ताक्षर पी. डब्ल्यू. 67, हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य के माध्यम से किसी भी संदेह से परे साबित हुए। इस प्रकार यह स्थापित किया गया कि अभियुक्त ट्रस्ट की बैठकों के कार्यवृत्त से प्रकट किए गए इरादे के साथ एकत्र हुए थे। विस्फोटक

जिन पदार्थों का विवरण दिया गया है, वे ए-2, ए-3, ए-4 और ए-6 से बरामद किए गए थे। उक्त अभियुक्त के स्वैच्छिक बयान और पंचों के माध्यम से की गई परिणामी बरामदगी भी अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित की गई थी। [पैरा 31] [879-एच; 880-ए-जी; 881-ए] 1.3 . अभिलेख पर तथ्यों से यह पता चलता है कि 10.12.2003 पर, जब 'C' स्थान पर F के घर पर एक बैठक आयोजित की गई थी, तो यह

अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों सहित अन्य सदस्यों के साथ ए-1, ए-2, ए-4 और ए-6 ने भाग लिया। द मिनट्स ऑफ द

उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक स्थानीय व्यक्ति नहीं थे। अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने उस दिन ए-1 की उपस्थिति की पुष्टि की थी। यह सच है कि इन सबूतों के अलावा, उनके खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं बताया जा सकता है। ए-1 लेकिन पूरे डिजाइन के लिए प्रेरक शक्तियों में से एक के रूप में योजना में उनकी भागीदारी काफी स्पष्ट थी। बैठक के कार्यवृत्त से प्रकट किए गए इरादे और उद्देश्य को बाद की बैठकों में आगे बढ़ाया गया। एम. ओ. एच. ए. एम. ए. डी. आई. आर. एफ. ए. एन. से और उससे की गई वसूली v.

अन्य अभियुक्तों के उदाहरण से पता चलता है कि पहली बैठक में जिस इरादे और उद्देश्य पर चर्चा की गई थी, उसे इन अभियुक्तों द्वारा हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण और कब्जे के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। उनसे बरामद की गई सामग्री अपने आप में संभावित खतरे को दर्शाती है। ऐसी संभावित खतरनाक सामग्री के अधिग्रहण और कब्जे का कारण या उद्देश्य दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। ये तथ्य न केवल यह दर्शाते हैं कि षड्यंत्र के मूल तत्व अच्छी तरह से स्थापित थे, बल्कि ए-1 की संलिप्तता को भी साबित करते हैं। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, ए-1 केवल इस आधार पर दायित्व से बच नहीं सकता है कि वास्तव में उसके पास से कोई हथियार और गोला-बारूद या कोई भड़काऊ सामग्री या साहित्य बरामद नहीं किया गया था। [पैरा 34] [886-ए एच]

1.4. पहली बैठक की तिथि 10.12.2003 कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, जिसके अंत में हस्ताक्षर किए गए थे। ए-1 सहित सभी संबंधित लोगों द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि जाँच अधिकारी ने स्वीकार किया, ए-1 कन्नड़ भाषा नहीं समझता था। अतः, ए-1 पर दायित्व निर्धारित करने के लिए उक्त दस्तावेज़ की विश्वसनीयता के बारे में एक गंभीर आपत्ति उठाई गई थी। द.

संबंधित दिन 'सी' में ए-1 की उपस्थिति अच्छी तरह से स्थापित थी। तथ्य यह है कि सभी संबंधित आरोपी उस दिन एक साथ मिले थे पीडब्लू-4 के घर में भी स्थापना हुई। बैठक में चर्चा का सार और इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया कि कुछ गवाहों द्वारा इसे उचित नहीं पाया गया था

गवाहों की गवाही। हस्ताक्षर विशेषज्ञ ने हस्ताक्षर को ए-1 का पाया। परिसर में, केवल यह निवेदन कि अभियुक्तों के हस्ताक्षर बाद में बिना किसी आधार के प्राप्त किए गए थे, पर विचार नहीं किया जा सकता है। हस्ताक्षर निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए परिस्थितियों में किए गए थे। [पैरा 35 (ए)] [887-ए-डी]

1.5 पहली बैठक और कुछ से हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी के बीच के अंतर के संबंध में प्रस्तुतिकरण

अभियुक्त, यह रेखांकित किया गया कि इन दोनों परिस्थितियों के बीच लगभग तीन साल का अंतराल था और इस बात पर जोर दिया गया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस अंतराल के दौरान, ए-1 किसी भी अभियुक्त के संपर्क में था या हथियारों और विस्फोटकों की खरीद में उसकी कोई भूमिका थी, जिन्हें अंततः [2022] 10 एस. सी. आर. बरामद किया गया।

संबंधित अभियुक्त द्वारा किए गए खुलासों के अनुसार। द.

हथियारों और विस्फोटकों की खरीद का इरादा। यह न तो कहा जा सकता है कि वह धागा जो बाद में चल रहा था घटनाओं और परिस्थितियों को तोड़ दिया गया था या कि पहली बैठक और बाद के चरणों के बीच का संबंध किसी भी तरह से था

फट गया। [पैरा 35 (बी)] [887-ई-एच]

1.6 यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजन पक्ष का मामला कि ए-1 ने पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए थे, संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान उक्त आरोपी को नहीं दिया गया था। अभिलेख से पता चलता है कि हस्ताक्षर विशेषज्ञ पीडब्लू 67 की रिपोर्ट के बारे में और 'सी' में बैठक के बारे में और ए-1 के 'सी' में जाने के बारे में कोड की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ की गई थी। इन प्रश्नों ने निश्चित रूप से ए-1 का ध्यान उनके खिलाफ परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया। हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय के बारे में ठोस साक्ष्य

35 (सी)] [888-ए-डी] 1.7 आई. पी. सी. की धारा 121 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या इस तरह का युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना अपराध है। आई. पी. सी. की धारा 121-ए, हालांकि, आई. पी. सी. की धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश के साथ-साथ बल द्वारा भयभीत करने की साजिश से संबंधित है।

केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार। इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में, धारा 121-ए का विस्तार इस प्रकार केवल आई. पी. सी. की धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश तक ही सीमित नहीं है। [पारस 38,39] [898-सी-जी]

1.8 . जैसा कि धारा 121 ए के पाठ से पता चलता है, वे व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार को अपराधी बनाने की योजना बनाते हैं

बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन आई. पी. सी. की धारा 121 ए के संदर्भ में साजिश में प्रवेश करने के अपराध का दोषी होगा। द.

शब्दकोष का अर्थ है "अतिशयोक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ है अधीन करना या मोहम्मद इरफान बनाम।

भय की भावना के साथ रोकें। इस प्रकार "अत्यधिक भय" शब्द का अर्थ आशंका या खतरे की स्थिति पैदा करना होगा और जैसा कि डिवीजन बेंच ने सही कहा है, यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकारी तंत्र या तंत्र के सदस्यों की हत्या या शारीरिक चोट का खतरा हो, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी खतरा हो सकता है। या आम जनता के सदस्यों की सुरक्षा के लिए। [पैरा 40] [900 जी; 901-ए-बी]

1.9 . तत्काल मामले में साजिश, जिसका इरादा बैठकों के कार्यवृत्त और परिणामी से स्पष्ट था

उक्त साजिश के उद्देश्य और इरादे को प्रभावी बनाने के लिए हथियारों और विस्फोटकों का अधिग्रहण, इस प्रकार आई. पी. सी. की धारा 121 ए में निपटाए गए साजिश के बाद के हिस्से के भीतर अच्छी तरह से आएगा। जिस तरह से

आई. पी. सी. की धारा 121 ए के स्पष्टीकरण से पता चलता है कि साजिश के अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं होगा कि कोई कार्य या अवैध चूक उसके अनुसरण में होनी चाहिए। इस प्रकार, भले ही साजिश के परिणामस्वरूप वास्तव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, फिर भी मामला आई. पी. सी. की धारा 121 ए के चारों कोनों के भीतर आएगा। इसलिए आई. पी. सी. की धारा 121 ए के तहत अभियुक्त के खिलाफ दर्ज की गई दोषसिद्धि के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हस्तक्षेप। [पैरा 41] [901-बी-डी]

1.10 . जहां तक धारा 120-बी के आधार पर प्रस्तुत करने का संबंध है

आई. पी. सी. की धारा 116 के साथ पठित, आई. पी. सी. की धारा 120-बी केवल तभी लागू होगी जब "इस तरह की साजिश की सजा के लिए इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है", क्योंकि एक स्पष्ट प्रावधान है।

विशेष प्रकार की साजिश के लिए विशेष रूप से आई. पी. सी. की धारा 121 ए में निपटा गया है, आई. पी. सी. की धारा 120-बी में निहित प्रावधान का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। अतः प्रस्तुतिकरण अस्वीकृत होने के योग्य है। [पैरा 42] [901-ई]

1.11 यह निवेदन कि उच्च न्यायालय के लिए सजा की मात्रा को सात साल से बढ़ाने का कोई अवसर नहीं था

जिसे निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 121-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी,

तत्काल मामले में प्रकट की गई साजिश, यदि इसे अंजाम दिया गया होता, तो इसके परिणामस्वरूप आम जनता के सदस्यों के जीवन और कल्याण के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को भी बहुत नुकसान और पूर्वाग्रह होता। खतरे का कारण बनने की ऐसी साजिशें [2022] 10 एस. सी.]

सार्वजनिक संपत्ति या आम जनता के सदस्यों की सुरक्षा से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों के अधिग्रहण के साथ-साथ डायरी द्वारा प्रकट की गई सामग्री और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय सजा बढ़ाने में सही था। [पैरा 43] [901-एफ-) 902-ए]

केहर सिंह और ओआरएस। बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) आकाशवाणी 1988

एससी 1883: 1988 एस. सी. आर. सप्लीमेंट (2) 24; नजीर खान और

अन्य वी। दिल्ली राज्य ए. आई. आर 2003 एस. सी. 4427: (2003) 8

एस. सी. सी. 461 [2003] (2) पूरक। एस. सी. आर. 884; राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली) वी. नवजोत संधू @अफसान गुरु (2005) 11 एस. सी. सी.

600 [2005] (2) पूरक। एससीआर 79; योमेशभाई

प्राणशंकर भट्ट बनाम। गुजरात राज्य (2011) 6 एससीसी

312 : [2011] (6) एस. सी. आर. 958; सी. मुनियप्पन और अन्य। बनाम। तमिलनाडु राज्य (2010) 9 एससीसी 567: [2010] (10)

एस. सी. आर. 262; राधा मोहन सिंह और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(2006) 2 एससीसी 450: [2006] (1) एस. सी. आर. 519; लाल सिंह बनाम

हसन खान बनाम राज्य आकाशवाणी 1951 पटना 60: 1951 Cr.L.J। 462 ; रामानंद बनाम। राज्य 1951 Cr.LJ 462-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1988] एस. सी. आर. पूरक (2) 24

[198] 8 एस. सी. आर. पूरक (2) 24

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2003] (2) पूरक। एससीआर 884

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2005] (2) पूरक। एससीआर 79

पैरा 23 (

संदर्भित किया गया है

[2011] (6) एससीआर 958

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

पैरा 31 (i.

[2010] (10) एससीआर 262

संदर्भित किया गया है

पैरा 31 (i.

[2006] (1) एससीआर 519

संदर्भित किया गया है

[2001] (1) एससीआर 111

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1993] (3) एससीआर 543

संदर्भित किया गया है

पैरा 33 मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 201-202 2018 से। आपराधिक अपील Nos.220 और 2012 के 530 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 10.05.2016 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 203-204 , 205-207 और 2018 का 208-209।

अली खान, रिजवान अहमद, मुजाहिद अहमद, फारुख रशीद, अबू बकर सब्बाक, सुश्री सीमा बेनगनी, सुश्री सुहासिनी सेन, कानू अग्रवाल, सुश्री अर्चना पाठक दवे, बी. वी. बलराम दास, सुश्री नित्या रामकृष्णन, शादन फरासत, भरत गुप्ता, एम. कार्तिक मुरुकुटला, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. 2018 की आपराधिक अपील (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न) 2016 की Nos.7347-7348); 2018 की आपराधिक अपील Nos.203-204 (उद्भूत)

2016 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) Nos.8246-8247 में से); 2018 की आपराधिक अपील Nos.205 207 (2016 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) Nos.8243-8245 से उत्पन्न) और 2018 की आपराधिक अपील Nos.208-209 (2017 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.138 139 से उत्पन्न) क्रमशः मूल अभियुक्त Nos.5,6,1 और 4 द्वारा दायर की गई हैं। उच्च न्यायालय द्वारा 2012 की आपराधिक अपील में 1,2012 की 530,2012 की 531 और 2013 की 1123।

2. तत्काल मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था।

आरोप पत्र लेकिन ए-8 को फरार दिखाया गया था। ए-1 से ए-7, अर्थात्, मोहम्मद रज़ुर रहमान @अब्दुल रहमान, अफसार पाशा @

बशीरुद्दीन, महबूब इब्राहिम सब चोपडार, नूरुल्ला खान उर्फ नूरुल्ला, मोहम्मद इरफान, नजमुद्दीन उर्फ मुन्ना, चांद बाशा और अहमद बाशा पर क्रमशः 2006 के सत्र मामले में मुकदमा चलाया गया था, जो प्राथमिकी संख्या 3/2006 के अनुसार दर्ज अपराध से उत्पन्न हुआ था। अपने दिनांक 17.12.2011 के निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय 2 ने ए-7 को बरी कर दिया लेकिन ए-1 से ए-6 पाया।

1 बैंगलोर में कर्नाटक का उच्च न्यायालय। 2 कोर्ट ऑफ द सिटी फास्ट ट्रैक (सेशन) जज, बैंगलोर सिटी (एफ. टी. सी. II)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोषी और पारित सजा का आदेश दिनांक 19.12.2011, जिसकी विशेषताओं को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जा सकता हैः -

शस्त्र अधिनियम, 19595

गैरकानूनी

भारतीय दंड संहिता, 1860 3

विस्फोटक

पदार्थ अधिनियम,

ग

तिविधियाँ

19084

(

रोकथाम) अधिनियम,

1

9676

अनुभाग अनुभाग

खंड अनुभाग। खंड अनुभाग

खं

ड अनुभाग

120 बी 121 ए 121

5

6

1

0

13

जीवन.

7 + 1

ए-1 जीवन

7 + 1

7 + 1

जीवन.

7 + 1

5 + 1

3

ए-2 जीवन

जीवन.

7 + 1

5 + 1

ए-3 जीवन

7 + 1

3

जीवन.

7 + 1

7 + 1

ए-4 जीवन

5 + 1

3

जीवन.

7 + 1

ए-5 जीवन

7 + 1

7 + 1

जीवन.

7 + 1

ए-6 जीवन

5 + 1

3

सभी आरोपों से बरी

ए-7

3. इसके बाद उच्च न्यायालय में निम्नलिखित चार अपीलें दायर की गईं।

2012 की आपराधिक अपील संख्या 220 पांच अभियुक्तों द्वारा दायर की गई थी।

ए-1, ए-2, ए-4, ए-5 और ए-6। 2013 की आपराधिक अपील No.1123 को ए-3 द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। 2012 की आपराधिक अपील Nos.530-531 को प्राथमिकता दी गई थी

राज्य द्वारा कुछ प्रावधानों के तहत ए-7 सहित अभियुक्त को बरी करने के खिलाफ और उन अपराधों के संबंध में कम सजा देने के खिलाफ भी जहां दोषसिद्धि दर्ज की गई थी।

4. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा चार अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई। के द्वारा

अपने निर्णय और आदेश को वर्तमान में चुनौती के तहत, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को निम्नानुसार संशोधित कियाः -

आईपीसी

1908 अधिनियम

1959 अधिनियम

1967 अधिनियम

अनुभाग अनुभाग अनुभाग अनुभाग अनुभाग

120 बी.

121 ए.

121

5

जीवन.

ए-1 ए-2

जीवन.

7 + 1

7 + 1

ए-3 ए-4

जीवन.

7 + 1

ए-5

जीवन.

जीवन.

5 + 1

7 + 1

3

ए-6

ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश की पुष्टि की गई।

ए-7

5. व्यथित होने के कारण, इस न्यायालय के समक्ष तत्काल चार अपीलें हैं -

ए द्वारा-5,6,1 और 4। राज्य ने इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की है। 3 आई. पी. सी., संक्षेप में। 4 1908 अधिनियम, संक्षेप में। 5 $ 1959 अधिनियम, संक्षेप में। 6 1967 अधिनियम, संक्षेप में।

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

सभी आरोपों के संबंध में या अन्य अभियुक्तों के खिलाफ ए-7 का बरी होना, जिन्हें कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया था। इसके अलावा, ए-2 और 3 द्वारा कोई अपील नहीं की गई है।

6. 2005 के अपराध सं. 110 की जाँच करते हुए

भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर, पीडब्लू में गोलीबारी की घटना-68 श्री वी. एस. डी. सूजा को एक बड़ी साजिश के बारे में पता चला

भारत में एक प्रतिबंधित संगठन, लस्कर-ए-तोइबा (एल. ई. टी.), जिसके कारण 14.01.2006 पर 2006 की एफ. आई. आर. संख्या 3 दर्ज की गई। 2006 की उक्त एफ. आई. आर. संख्या 3 में आरोप इस प्रकार थेः

" 1. मुझे पुलिस आयुक्त, बैंगलोर शहर द्वारा निर्देशित किया गया था

वीडियो मेमो No.CRM/4/186/2006 दिनांक 29.12.2005 जांच करने के लिए

2005 में सदाशिवनगर पुलिस में मामला दर्ज किया गया

स्टेशन। मैंने Cr.No.110/में मामले की आगे की जांच शुरू की।

2005 यू/एस 307 भारतीय दंड संहिता, 18060 और शस्त्र अधिनियम की 25,27,28

टी. अज्जप्पा, एसीपी से पुलिस स्टेशन, बैंगलोर शहर, शेषाद्रिपुरम उप-मंडल, बैंगलोर 31.12.2005 पर।

2. 02.01.2006 पर मेरे निर्देशों के अनुसार सुबह 6:30 बजे श्री सुब्बन्ना,

पुलिस निरीक्षक और उनकी टीम ने आरोपी मोहम्मद को पेश किया।

रज़ुर रहमान @अब्दुल रेहान @उमेश बेटा समसुद्दीन,

35 वर्ष की आयु, आर/ओ No.5-10-82, बीटीएस, नायगोंडा, आंध्र प्रदेश,

मेरे सामने अपनी रिपोर्ट जब्त करने वाले महाज़ार के साथ, एक पॉकेट डायरी

पाठ्यक्रम के दौरान जब्त किए गए टेलीफोन नंबर उपरोक्त मामले की जाँच।

3. जाँच के दौरान मुझे उपरोक्त मामले का पता चला है

भारत में प्रतिबंधित संगठन सक्रिय है और फैलाने की कोशिश कर रहा है भारत और अन्य जगहों पर इसकी आतंकवादी गतिविधियाँ।

4. एल. ई. टी. का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी के माध्यम से भारत को अस्थिर करना है।

महत्वपूर्ण संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर हमला करने, हत्या करने जैसी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तियां, सार्वजनिक रूप से बम विस्फोट करती हैं

स्थान और शूटआउट ले जाना, बाधित करना

***** 7

शांति और

शांति, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना * * * * * 7 आर्थिक

हित जिससे सार्वजनिक व्यवस्था आदि बाधित होती है।

7 ***** - अवैध है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. अबू मोहम्मद उर्फ मोहम्मद इरशाद सऊदी में लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है। अरबिया। अबू मोहम्मद एक पाकिस्तानी नागरिक है, अबू-अब्दुल्ला, अब्दुल मन्नार और ज़करिया सभी पाकिस्तानी नागरिक अबू की सहायता करते थे।

6. आंध्र प्रदेश के नलगोंडा के मूल निवासी, डिप्लोमा में ड्रॉपआउट अब्दुल रहमान ने विभिन्न व्यवसायों में कदम रखा, लेकिन असफल रहे। 1993 में उन्होंने हैदराबाद में और 1994 में अपने भाई से पासपोर्ट प्राप्त किया। हबीर-उर-रहमान ने सऊदी वीजा प्राप्त करने में उसकी मदद की और अब्दुल रहमान सऊदी अरब चला गया और ड्राइवर के रूप में, सब्जी की दुकान में सेल्समैन के रूप में, कपड़े धोने में, पानी की आपूर्ति करने वाली वैन के ड्राइवर के रूप में काम करता था और वर्तमान में वह ओनाइज़ा में बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है।

सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता। 7. वह सनागा मस्जिद में लश्कर-ए-तैयबा के नेता शेख महबूब अहमद मौलाना के संपर्क में आया।

अबू रहमान शादी करके सऊदी अरब लौट आया। 9. 2000 में बैंगलोर के अफसार और बागलकोट जिले के महबूब इब्राहिम इस्लामिक सेंटर ऑफ ओनाइज़ा (सऊदी अरब) में अपने एक सेमिनार के दौरान अब्दुल रहमान के संपर्क में आए और वे लश्कर-ए-तैयबा के कैडर में दोस्त और प्रमुख व्यक्ति बन गए।

10. अब्दुल रहमान के संरक्षण में बैंगलोर के अफसार पाशा जेहादी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए विस्फोटकों और हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन, यह योजना पूरी नहीं हो सकी।

11. वर्ष 2001 में, फैसल, अबू हज़ा, शरीफ, अल्ताफ़, अनवर, ज़कारिया, अब्दुल रहमान और अन्य जो सभी भारतीय नागरिक हैं और सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत में जेहादी गतिविधियों के लिए धन और राजस्व एकत्र करने का फैसला किया।

12. बांग्लादेश के निवासी वली-उर-रहमान, जो जमात-उल-मुदाउद्दीन (बांग्लादेश में जे. एम. यू.) के प्रमुख हैं, ने अफसार की यात्रा की व्यवस्था की। पाशा बांग्लादेश गए।

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

13. बैंगलोर के अफसार पाशा, 2002 की शुरुआत में बांग्लादेश गए जहाँ वे 8 महीने तक रहे और उन्होंने हथियारों और विस्फोटकों को संभालने और हथियारों के निर्माण का प्रशिक्षण भी लिया।

बम आदि। बाद में वह पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुस गया। अब्दुल रहमान ने इस अवधि के दौरान अफसार पाशा को हथियारों की खरीद और प्रशिक्षण खर्च के लिए पैसे भेजे थे।

चेन्नई में तोड़फोड़ की गतिविधियाँ। बाद में अब्दुल रहमान को सऊदी अरब में इरफान उमरी के स्थान पर मसूद बनाया गया। 16. अब्दुल रहमान छुट्टियाँ बिताने के बहाने अक्सर आंध्र प्रदेश के नालागोंडा का दौरा कर रहा था, लेकिन महबूब इब्राहिम और अफसार पाशा से संपर्क कर रहा था और उसे ले जाने के बारे में चर्चा कर रहा था।

कर्नाटक में जेहादी और आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करें। अब्दुल रहमान ने उत्तरी कर्नाटक में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बगलकोट जिले के महबूब इब्राहिम और दक्षिणी कर्नाटक के लिए बैंगलोर के अफसार पाशा को नियुक्त किया। 17. नवंबर 2003 में इस तरह की यात्राओं के दौरान, अब्दुल रहमान ने चिंतामणि का दौरा किया और अपने सहयोगी अफसार पाशा से मुलाकात की और चिंताकानी में अहले-हदीस की एक मस्जिद स्थापित करने का फैसला किया और वित्तीय संपत्ति का भी वादा किया। अफसार पाशा और अफ्बदुल रहमान भी

से युवाओं की भर्ती करके कर्नाटक में एल. ई. टी. का फैसला किया

उनका समुदाय। अफसार पाशा ने नूर, इरफान, मुन्ना और अन्य अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को एलईटी दक्षिण भारत के प्रमुख के रूप में पेश किया। ***** वे सभी खुद को जेहादी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए।

18. अब्दुल रहमान ने चेन्नई जाकर इरफान से मुलाकात की और लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों के लिए एक ट्रस्ट "अल-फतह" स्थापित करने का फैसला किया और इसके लिए धन देने का वादा किया। 19. 2004 के दौरान, अब्दुल रहमान ने बैंगलोर के चांद पाशा के माध्यम से हवाला लेनदेन के माध्यम से बैंगलोर के अफसार पाशा और बगलकोट के महबूब इब्राहिम को पैसे भेजे।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. बैंगलोर के उक्त अफसार पाशा और बगलकोट जिले के महबूब इब्राहिम सऊदी अरब में रहने वाले अब्दुल रहमान के साथ लगातार संपर्क में थे और आगे उसे लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों की प्रगति के बारे में सूचित कर रहे थे।

21. अब्दुल रहमान ने अफसार पाशा और महबूब इब्राहिम को कर्नाटक में तोड़फोड़ के माध्यम से जेहादी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का निर्देश दिया। अब्दुल रहमान अक्टूबर में नालागोंडा आए थे।

2005 और अफसार पाशा और इब्राहिम को बैंगलोर और कर्नाटक के अन्य स्थानों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बहु-राष्ट्रीय कंपनियों आदि को विस्फोट और नुकसान पहुंचाने का निर्देश दिया।

विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उत्तरी कर्नाटक की देखभाल करने के लिए एल. ई. टी. का प्रभारी। अफसार पाशा ने 4-5 लोगों की भर्ती की है, उन्हें लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों में प्रशिक्षित किया है और उन्हें जेहाद की अवधारणा के बारे में भी सिखाया है। (गैर-मुसलमानों के खिलाफ तथाकथित पवित्र युद्ध)। इस उद्देश्य के लिए दिसंबर, 2005 के दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान उन्होंने गुप्त साजिश रची

तमिल संगम, कब्बन पार्क और बैंगलोर में अफसार पाशा के घर और कर्नाटक में अन्य स्थानों पर बैठक की और बैंगलोर में बम विस्फोट करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने विस्फोटक सामग्री, बम आदि की खरीद की और अपनी आतंकवादी गतिविधियों से नागरिकों को आतंकित करने और राज्य में भय मनोविकृति पैदा करने के लिए उनका उपयोग करने के लिए खुद को तैयार किया।

23. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अभियुक्त व्यक्ति अर्थात्। (1) मोहम्मद रज़ुर रहमान @अब्दुल रहमान (2) बैंगलोर के अफसार पाशा (3) बागलकोट जिले के इब्राहिम (4) नूर (5) इरफान (6) मुन्ना और कर्नाटक के अन्य, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय सदस्य हैं, ने बम विस्फोट, निर्दोष लोगों पर हमले, पूजा स्थलों को बड़े पैमाने पर नष्ट करके और धर्म, नस्ल और कृत्यों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देकर, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने के अलावा सार्वजनिक संपत्ति, बहु-राष्ट्रीय कंपनियों आदि को बड़े पैमाने पर नष्ट करने की आपराधिक साजिश रची।

घृणा होने के प्रयास के समग्र उद्देश्य के साथ असंतोष, पूजा स्थलों के त्याग द्वारा स्थापित कानून द्वारा सरकार के प्रति अवमानना और असंतोष को उकसाना, यह जानते हुए कि ऐसे मोहम्मद इरफान v.

अधिनियमों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यवस्था और अभियुक्त टूट जाएंगे।

विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने और एकत्र करने की सूचना दी है

और अन्य आवश्यक हथियार और गोला-बारूद और मजदूरी करने की साजिश भारत की संघ सरकार के खिलाफ युद्ध।

24. मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 (बी), 121,121 (ए), 1,122,124 (ए), 153 (ए) और (बी) और विस्फोटक पदार्थ की धारा 5 और 6

अधिनियम, 1908 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25,26 और 28 और

गैरकानूनी गतिविधियों की धारा 10,11,13,16,18,19,20 और 23

निवारण अधिनियम, 1967 "।

7. टीम द्वारा अपराध की जांच की गई थी

पी. डब्ल्यू. 72 (प्रदीप सिंह, सहायक) के नेतृत्व में। पुलिस आयुक्त) और जांच के दौरान उठाए गए कदमों सहित मामले की मुख्य विशेषताओं को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जा सकता हैः

Sl.No। तिथि और

तथ्य।

समय

जे. एन. टाटा में गोलीबारी की घटना हुई।

1

28.12.2005

भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर का सभागार जिसके कारण अपराध का पंजीकरण No.110/2005 यू/एस हुआ। 307 सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन के साथ आई. पी. सी.,
बैंगलोर। ए 1 ने कहा कि यह सूचना मिलने पर कि उक्त अपराध में शामिल होने का संदेह रखने वाले मोहम्मद रेज़ुर रहमान उर्फ अब्दुल रहमान (ए 1) नलगोंडा में हैं, (पीडब्लू50) पुलिस निरीक्षक सुबन्ना को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था।

01.01.2006

पीडब्लू 50 और उनकी टीम ने नलगोंडा में एक मस्जिद के सामने ए 1 को गिरफ्तार किया। पीडब्लू50 ने तुरंत एक शव का संचालन किया

2

5: 30 में हूँ।

अल पर खोजें और एक पॉकेट नोटबुक बरामद करें

6: 00 आं।

(एमओ 1)। पूर्व में पंचनामा। पी32 को पी. डब्ल्यू. 14 (सूर्य प्रकाश) के साथ पंच गवाह के रूप में तैयार किया गया था।

अल को पीडब्लू68 (वी. एस. डिसूजा, आई. ओ.) से पहले पेश किया गया था।

3

02.01.2006

अपराध सं. 110/2005) में ए 1 का स्वैच्छिक बयान दर्ज किया गया था। बयान में कहा गया है कि

भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश।

4

05.01.2006

ए 1, पीडब्लू68 के उक्त स्वैच्छिक बयान के आधार पर नलगोंडा गया। एक मोबाइल (एम 010), एक पासपोर्ट (उदा. पी40), छह पर्ची (Ex.P41-46), और तीन पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (उदा. पी 47-49) अल से बरामद किया गया था।

बेडरूम। पूर्व में पंचनामा। पी39 को पी. डब्ल्यू. 18 (एस. मोतीलाल) और पी. डब्ल्यू. 57 (आर. विजय पाल) के साथ तैयार किया गया था।

पंच गवाह।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. डब्ल्यू. 68 ने साजिश के संबंध में शिकायत दर्ज कराई

5

14.01.2006

आतंकवादी हमले करना। नतीजतन, एफ़. आई. आर.

3: 30 पी एम

अपराध सं. 3/2006 यू/एस दर्ज किया गया था। 120 आई. पी. सी. के बी, 121,122,124 ए, 153 ए और 153 बी। 5 और 1908 अधिनियम का 6; 1959 अधिनियम और धाराओं की धारा 25,26 और 28। 10 , 11 , 13 , 16 , 18 , 19 , 20 और 1967 के अधिनियम की धारा 23।

पीडब्लू 35 (चलपति) ने महबूब इब्राहिम साब को गिरफ्तार किया।

14.01.2006

6

गुलेडागुड्डा से चोपडार (ए 3)। ए 3 (एक्स. पी.-272) के स्वैच्छिक कथन के आधार पर, ए

7

15.01.2006

महज़र एक्स. पी.-50. पंचों की उपस्थिति में ए 3 ने 4 पुस्तकें (एक्स. पी.-64 से एक्स. पी.-67) भी निकालीं।

19.01.2006

अफसार पाशा उर्फ बशीरुद्दीन (ए 2) और मोहम्मद इरफान (ए 5) को पीडब्लू41 (श्रीनिवास मूर्ति) ने गिरफ्तार किया था।

8

और पुंगनूर के पास पीडब्लू52 (ए. जी. कैसर)।

पीडब्लू52 ने तुरंत शव की खोज की और पाया गया (i) एक मोबाइल (एम. ओ. 17), दो मुद्रा नोट

Rs.50/- (MO18), मोटरबाइक (MO19), डायरी (Ex. पी13), ड्राइविंग लाइसेंस (उदा. पी131), एस. टी. डी. पर्ची (उदा. पी132),

पूर्व में पंचनामा। पी129 को पी. डब्ल्यू. 30 (के. एम. विजय कुमार) और पी. डब्ल्यू. 35 को पंच गवाहों के रूप में तैयार किया गया था। ए 2 और ए 5 का उत्पादन पीडब्लू72 से पहले 8 बजे किया गया थाः 30 मैं।

ए 2,17 के स्वैच्छिक कथन के आधार पर

पंचनामा के अनुसार डेटोनेटर, 20 जिलेटिन की छड़ें, 114 लोहे के छर्रों, 3 हाथ के दाने बरामद किए गए।

Ex. P-138.

20.01.2006 ए 5 द्वारा दिए गए स्वैच्छिक कथन के आधार पर,

9

पूर्व में पंचनामा। पी75 को पी. डब्ल्यू. 22 के साथ खींचा गया था
(शक्ति) और पीडब्लू 24 (प्रकाश) पंच गवाहों के रूप में।

10

ए 2 के स्वैच्छिक कथन के अनुसार, कुछ पुस्तकें और पर्चे (एक्स. पी.-81 से एक्स. पी.-92) और छह वीडियो

22.01.2006

8: 30 पी एम

पंचनामा एक्स. पी.-105 के माध्यम से कैसेट (एम. ओ.-15) और अन्य सामान एक्स. पी.-93 से एक्स. पी.-104 जब्त किए गए।

नोरुल्ला खान उर्फ नूरुल्ला (ए 4) और नजमुद्दीन उर्फ मुन्ना (ए 6) को हेसरघट्टा बस स्टॉप पर पीडब्लू54 (बाबू नरोहना) और पीडब्लू61 (वेंकटस्वामी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
शरीर की खोज करने पर, पीडब्लू54 को (i) एक नोटबुक (Ex. पी113), एक चिट (उदा. पी114), विज़िटिंग कार्ड (उदा. पी115), एक चमड़े का पर्स (उदा। पी116) ए 4 से; और (ii) एक छोटी डायरी (उदा. पी116) ए 6 से।

पूर्व में पंचनामा। P112 को PW32 (एजाज़) के साथ खींचा गया था।

पंच साक्षी के रूप में।

A4 और A6 के स्वैच्छिक बयान दर्ज किए गए थे

11

23.01.2006

पी. डब्ल्यू. 72, पूर्व में। पी 276-277।

उनके स्वैच्छिक बयानों के आधार पर, ए 4 और ए 6 ने नेतृत्व किया

12

24.01.2006

पीडब्लू72 एक दल और पंच के साथ नीलगिरी बागान और केंद्रीय कुक्कुट फार्म के गवाह हैं
जिसके परिणामस्वरूप (i) ए 4 के कहने पर एक टिन-प्रकार का बम, दो तार और दो कैप; और (ii) एक टिफिन वाहक बम, एक टिन-प्रकार का बम, एक फ्यूज तार, दो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक रिवॉल्वर (एम. ओ. 23) और पांच बरामद हुए।

ए 6 के उदाहरण पर कार्टिज (एमओ 24-25)।
पूर्व में पंचनामा। पी 169-170 को पी. डब्ल्यू. 40 (जी. एस. रविकुमार) और पी. डब्ल्यू. 45 (एच. के. परमेश) के साथ तैयार किया गया था।

पंच साक्षी।

चांद पाशा (ए 7) को गिरफ्तार कर लिया गया।

28.01.2006

13

पीडब्लू72 ने ए 4 के उदाहरण पर अधिक वसूली की और

30.01.2006

14

पूर्व में पंचनामा। पी134 और एक्स। पी152 को पी. डब्ल्यू. 39 (एस. राजेंद्र) के साथ पंच गवाह के रूप में तैयार किया गया था। आई. ओ. ने तत्काल मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

15

12.04.2006

एफ. आई. आर. सं. 3/2006 के अनुसार अपराध।

एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

16

14.02.2007

8. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 73 गवाहों से पूछताछ की और उन पर भरोसा किया

इसके मामले के समर्थन में 278 प्रदर्शन और 38 भौतिक वस्तुओं पर। अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह में अभियुक्त के कहने पर डी1 से डी7 तक के प्रदर्शनों को भी चिह्नित किया गया था। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को तीन खंडों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया हैः 8 अपील [2022] 10 एस. सी. आर. के तहत फैसले का अनुच्छेद 44।

" (1) के इशारे पर दोषपूर्ण वस्तुओं की वसूली

अभियुक्त व्यक्ति;

(2) के बीच साजिश के लिए उन लेखों का जुड़ाव

अभियुक्त व्यक्ति;

(3) अभियुक्त व्यक्तियों का इस प्रकार के संबंध में आचरण उनके खिलाफ कथित अपराध का गठन करने की साजिश "।

9. पहले खंड में, अभियुक्त से महत्वपूर्ण बरामदगी, जिन पर अभियोजन द्वारा भरोसा किया गया था, निम्नानुसार थेः

ए-1 सेः एक पॉकेट नोटबुक, कुछ पेपर चिट्स जिसमें

(अ)

फोन नंबर, पासपोर्ट और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।

(ख)

ए-2 सेः 17 डिटोनेटर, 20 जिलेटिन की छड़ें, 114 लोहे के फट्टे, 3 हथगोले, कुछ उत्तेजक साहित्य, ए-1 के संरक्षण में बनाए गए न्यास की बैठक के कार्यवृत्त

(Ex.P.92) और कुछ वीडियो कैसेट। ए-3 सेः पासपोर्ट, टेलीफोन डायरी, टेलीफोन चिट्स,

((ग)

फोटोग्राफ, 10 जिलेटिन स्टिक, 2 डिटोनेटर और भड़काऊ साहित्य।

ए-4 सेः डिब्बे में टिन के प्रकार का बम, तार और टेप;

((घ)

दस्तावेज़ और किताबें।

(ई)

ए-5 सेः लेटरहेड और भड़काऊ साहित्य।

(च)

ए-6 सेः डिब्बे में टिन के प्रकार का बम, तार और टेप; रिवॉल्वर और जीवित गोला-बारूद।

ए-7 सेः मोबाइल फोन, फोन नंबर के साथ पर्ची, दौरा

(जी)

कार्ड, डायरी और एक नोटबुक।

10. कुछ विस्फोटक पदार्थ, हथियार और गोला-बारूद जो

अनुच्छेद 7 में चार्ट की क्रम संख्या 7,8 और 12 पर ए-2, ए-3, ए-4 और ए-6 ऑल्ट द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार बरामद किया गया

नबोव पर भी भरोसा किया गया था।

11. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 से 8 और 13 की जांच की, जो

ई अभियोजन की मांग की गई थी और इसमें शामिल किया गया था

एन और अभियुक्त की योजना। इन सभी गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। हालांकि, के अनुसार

इसलिए, मोहम्मद इरफान बनाम को स्थापित करने के लिए उनकी गवाही पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है।

कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

सभी अभियुक्त उद्देश्य की भावना के साथ एक साथ काम कर रहे थे और गवाहों के संपर्क में थे। उदाहरण के लिए,

पीडब्लू 1 और 4 के बयानों से विंग भागों पर ध्यान दिया जा सकता हैः

(ए) पीडब्लू-1 (जवेल रजा)

" मैं परिचित हूँ, आरोपी-2, अफजल पाशा और आरोपी-6

नजीमुद्दीन। वे दोनों इस दिन इस अदालत में मौजूद हैं। गवाह ने अभियुक्त की पहचान की-2 और 6 जो चौथे स्थान पर बैठे हैं।

और क्रमशः छठा स्थान।

एक दिन जब मैं परवीद के साथ अपनी दुकान में था, 4 साल पहले, आरोपी-2 और 6 मेरी दुकान पर आए और कहा कि वे कोलार से आए हैं, यह मानते हुए कि वे मेरे दोस्त हो सकते हैं।

मेरे दोस्त मुक्तियार जो कोलार में रहते हैं, मैंने मुक्तियार को फोन किया

फोन करते हैं। उक्त मुक्तियार मूल रूप से कोलार का रहने वाला था और बैंगलोर में रहता था। मैंने उनके बैंगलोर के नंबर पर कॉल किया था। मुक्तियार मेरी दुकान पर आए। आरोपी-2 और 6 ने हमें इस्लाम धर्म के बारे में बताया, हमें नमाज पढ़ने के लिए कहा और हमें गरीब लोगों की मदद करने के लिए कहा। हमें एक मदरसा स्थापित करने के लिए कहा। हम दोनों ने उन्हें चाय का प्याला दिया और भेज दिया।

बंद कर दें।

छह-सात दिन बाद वे दोनों फिर से मेरी दुकान पर आए।

मैं, परवेज, मुक्तियार और ज़ाहिद दुकान में थे। उन्होंने हमसे कहा, हम दुकान में बात नहीं करेंगे, चलो पार्क में जाकर बात करते हैं। हम चारों उनके साथ गाड़ी पार्क करने गए। उन दोनों ने कुरान के बारे में बताया और कहा कि, हमें लोगों का एक संगठन स्थापित करना है, और हमें बताया कि लोगों के लिए मस्जिदों या दरगाह में जाना और प्रार्थना करना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए, 15-20 व्यक्तियों को संगठित किया जाना है और उसी संगठन द्वारा इसका खर्च वहन किया जाएगा। चूंकि वे जो बात कह रहे थे वह उचित नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे एक फोन आ रहा है और मैं दुकान पर लौट आया। मेरे पीछे मेरे दोस्त भी वापस आ गए। अभियुक्त-2 और 6 पार्क से ही वापस गए। हम चारों ने आपस में बात की, और हमने फैसला किया कि अगर वे वापस आते हैं तो अभियुक्त-2 और 6 का आचरण अच्छा नहीं है।

एक बार फिर हम उनका मनोरंजन नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद, जाविद को उक्त व्यक्तियों का फोन आया था, जाविद ने बताया कि उसने उन्हें आने के लिए नहीं कहा है और हम उपलब्ध नहीं होंगे।

गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किए जाने के बाद, उससे विशेष लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गई, जब गवाह ने कहाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुजरात में हिंदुओं द्वारा मुसलमानों की हत्याओं के खिलाफ घोषित किया जाए। उक्त कथन को ईपी-1 के रूप में चिह्नित किया गया था। यह सही है अगर कहा जाए कि उन्होंने मुझसे कहा था कि लोगों को दरगाहों में जाने से रोका जाना चाहिए और हमें दरगाहों को अस्तित्वहीन बनाना चाहिए। यह नहीं है। अगर यह कहा गया है कि दरगाहों को अशुद्ध बनाकर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहिए और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा की जानी चाहिए और सरकार को कमजोर किया जाना चाहिए, तो यह सही है। उक्त कथन को ईपी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था। यह सही नहीं है अगर कहा जाए कि आरोपी अफजल पाशा को ढाका में प्रशिक्षित किया गया था

जिहाद और सऊदी अरब के लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख, अबू हमजा, वली उर रहमान और अब्दुल रहमान से परिचित

नेलागोंडा, कि उसे कर्नाटक में गुप्त रूप से लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना करने की आवश्यकता है, और कहा था कि, आप सभी को सहयोग करना होगा।

उक्त कथन को ईपी-3 के रूप में चिह्नित किया गया था।

तदनुसार, यह कहना सही नहीं है अगर मैंने कहा था कि जब हम पार्क में बैठे थे, तो उक्त आरोपी ने कहा कि हम सभी मिलकर बैंगलोर में लश्कर-ए-तैयबा का आयोजन करेंगे, हिंदू कश्मीर में मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं और भारत के सभी हिस्सों में हम जिहाद की घोषणा करेंगे जैसा कि कुरान में कहा गया है, हम क्रांति के माध्यम से भारत को नष्ट कर देंगे, हम लश्कर-ए-तैयबा के लिए धन एकत्र करेंगे, हम इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए लाएंगे, सभी खर्च अब्दुल रहमान द्वारा वहन किए जाएंगे।

जुड़ने वाले व्यक्तियों को भी अस्थायी रूप से प्रशिक्षित करें। बयान के उक्त हिस्से को ईपी-4 के रूप में चिह्नित किया गया था। "

पीडब्लू-4 (फिरोज @फिरोज पाशा)

आरोपी-6, मुन्ना का परिचय मुझे चिंतामणि घड़ी की दुकान, अब्दुल रहमान ने कराया था। उक्त मुन्ना आज अदालत में मौजूद है और उसकी पहचान कर ली गई है। मैं चाय की दुकान पर समाचार पत्र पढ़ने जाता था। फिर, मैं आरोपी-4, नूरुल्ला से परिचित हुआ। वह आज अदालत में भी बैठे हैं। जब मैं इस्लाम के धार्मिक प्रचार के लिए मुलाबागिलू गया, तो मैं आरोपी-5, इरफान से परिचित हुआ। वह आज अदालत में बैठा है और गवाह ने उसकी पहचान कर ली है। मैं अभियुक्त-2 को जानता हूँ, वह भी आज अदालत में मौजूद है।

.... चिंतामणि में दो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में जब हम नमाज के लिए गए तो वहां के प्रबंधन ने हमें यह कहते हुए बाहर कर दिया कि मोहम्मद इरफान बनाम।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

कि, उन मस्जिदों में एक अलग रिवाज है। इसलिए, हमने एक कमरा लिया और हम वहाँ ही नमाज़ पढ़ते थे। हम एक विश्वास बनाते हैं

और ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी थी। अब्दुल रहमान थे

उस न्यास के अध्यक्ष, दूसरे अभियुक्त अफजल पाशा उपाध्यक्ष थे।

अध्यक्ष, अभियुक्त-6 मुन्ना उस न्यास के सचिव थे।

अभियुक्त-4 नूरुल्ला संयुक्त सचिव था, मैं उसका ख़ज़ानची था।

ट्रस्ट। अभियुक्त अब्दुल पाशा के हाथ की हड्डी टूट गई थी।

तब आरोपी-1 रज़ू रहमान उससे मिलने आया, फिर अब्दुल पाशा ने उससे मेरा परिचय कराया कि वह सऊदी में उसका दोस्त है।

अब्दुल रहमान ने एक दिन हमारे घर में चाय पार्टी का आयोजन किया था। उस दिन, आरोपी-1 रहमान ने हमसे कहा कि हम सभी को होना चाहिए

एकजुट रहें और अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करें।

शाम को 7 बजे वे नमाज के बाद चले गए। इसके बाद मैं

अब्दुल रहमान को बांगरपेट रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था

मेरी साइकिल। "

गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किए जाने के बाद, प्रश्नों के जवाब में

y विशेष लोक अभियोजक, गवाह ने कहाः

उनके अनुरोध के अनुसार जब हम अपने घर में इकट्ठा हुए, परिचय देने के बाद कि अफजल पाशा दक्षिण के लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है

भारत, उसके बाद अब्दुल रहमान ने कहा कि, देश

भारत को टुकड़ों में बनाया जाना चाहिए, हम एक प्रशिक्षण आयोजित करेंगे

जिहाद के बारे में, मैं बंदूक, बम और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करूँगा,

आप सभी संगठित होकर जिहाद की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि ध्वस्त कर दें।

दरगाहें सांप्रदायिक झड़पें पैदा करती हैं और अस्थिरता पैदा करती हैं सरकार। यह सारा मामला सुनकर हमने कहा कि यहां यह सब करना संभव नहीं है, हमने सहयोग नहीं किया। मैं, जमीर और अमीर

बिना हस्ताक्षर किए बैठक से वापस आया, और मैंने कहा था

कि, हम बैठक में मौजूद थे, मुन्ना, नूरुल्ला खान और

अब्दुल पाशा ने हस्ताक्षर किए। उक्त कथन को ईपी-11 के रूप में चिह्नित किया गया था।

गवाह को वापस बुला लिया गया और विशेष अभियोजक द्वारा आगे जिरह की गई जब गवाह ने कहाः

" हमने जो ट्रस्ट पंजीकृत किया है वह मस्जिद ओ मोहम्मद या है। अहले अदीस ट्रस्ट। यह सही है कि पीडब्लू-5 जमीर, पीडब्लू-6 अमीर [2022] 10 एस. सी. आर.

और सी. डब्ल्यू.-11 मियामद भी न्यास के सदस्य थे। जब आरोपी-1 मेरे घर आया तो अफजल पाशा, नूरुल्ला खान, मुन्ना, जमीर और अमीर वहाँ आ गए थे। मैंने यह सवाल नहीं किया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, जब अभियुक्त-1 ने हमसे कहा कि हम सभी को एकजुट होना चाहिए। अफजल पाशा मेरे बचपन के दोस्त हैं।

मुझे नहीं पता, आरोपी-1 लश्कर-ए-तैयबा का दक्षिण भारत का कमांडर है और हमें उपदेश देने आया है। उस पर

उस दिन, आरोपी-1 मेरे घर पर लगभग डेढ़ घंटे तक था, उसने केवल इतना कहा था कि हम सभी को एकजुट होना चाहिए। यह गलत है अगर कहा जाए कि अब्दुल रहमान ने अपने भाषण में कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हम सभी को एकजुट होकर जिहाद की घोषणा करनी चाहिए, मैं आवश्यक प्रशिक्षण और आवश्यक हथियार और सभी प्रदान करूंगा। यह कहना सही नहीं है कि अब्दुल रहमान ने इस तरह कहा था, हम इस पर सहमत नहीं थे। अब्दुल रहमान वुडलैंड होटल में रह रहे थे। अफजल पाशा मेरा रिश्तेदार है।

12. पीडब्लू4 के बयान में संदर्भित न्यास का गठन 10.12.2003 पर न्यास विलेख (पूर्व-पी27) के निष्पादन के लिए किया गया था।

जो न्यासी थेः

((ii) अफसार पाशा पुत्र नूर अहमद; ((ग) निजामुद्दीन पुत्र ताजुद्दीन;

((iv) नूरुल्ला पुत्र महबूब खान;

(ix) ताजुद्दीन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रज़ाक " इस प्रकार, अभियुक्त सं। 2 , 4 और 6 के साथ-साथ पीडब्लू 4,5,6,7 और 8

उक्त न्यास के न्यासी।

13. यह स्वीकार किया जाता है कि पूर्व। पी-92 उक्त एक्स की मिनट बुक है। पी.

सबसे पहले। बरामद हथियारों और गोला-बारूद और विस्फोटक रियालों के अलावा, Ex.P.92 में दर्ज बैठकों के कार्यवृत्त कुछ महत्व के हैं। Ex की सामग्री। पी. 92 से पता चलता है कि

एनजीएस में कुछ अभियुक्तों ने भाग लिया जिन्होंने कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए।

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

उस ओर से एटेल्स को निर्णय ट्रायल कोर्ट के पैराग्राफ 70 में लिया गया था, जिसे सुविधा के लिए पैराग्राफ के नीचे निकाला गया हैः

" 70. मैंने Ex.P92 और पहले के प्रासंगिक पृष्ठ को पढ़ा है।

बैठक को Ex.P92 (c) और (d) के रूप में चिह्नित किया गया है। उक्त बैठक चिंतामणि में फिरोज के घर में 10.12.2003 पर आयोजित की गई थी, जिसमें आरोपी Nos.1,2,4 और 6 ने कुछ अन्य सदस्यों के साथ भाग लिया था। इसके पाठों के अनुसार, यह दर्शाता है कि जिहाद की बैठक 5 बजे आयोजित की गई थीः 00 पी. एम. और उक्त बैठक में अभियुक्त नंबर 1 का अन्य सभी लोगों से परिचय कराया गया। इसके अलावा, यह दर्शाता है कि आरोपी नंबर 1 ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है, गुजरात में मुसलमानों को मार दिया जाता है और हम सभी को इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा, यह दर्शाता है कि आरोपी नंबर 1 ने आश्वासन दिया कि वह आपूर्ति करेगा जिहाद प्रशिक्षण की तैयारी के लिए बंदूकें, बम और वित्तीय सहायता आदि। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए जाता है कि सदस्य जो

बैठक में भाग लेने वाले फिरोज, जमीर और अमीर ने आरोपी नंबर 1 के साथ असहमति जताई क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा और ऐसा कहकर वे बैठक से बाहर चले गए। उक्त बैठक से यह भी पता चलता है कि अन्य सदस्य इस पर सहमत थे

Ex.P92 (d) यह दर्शाता है कि अभियुक्त Nos.1,2,4 और 6 के पास है कार्यवृत्त पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। अभियुक्त संख्या 2 के हस्ताक्षर के बाद Ex.P92 (d) पर, एक अंतर है और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मिटा दिया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि बैठक में भाग लेने वाला एक सदस्य अभियुक्त संख्या 2 के बाद हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन जैसा कि उसे परिणामों के बारे में पता चला,

हो सकता है कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर मिटा दिए हों। उन्होंने आगे तर्क दिया कि

बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के साथ उतर रहे हैं

19.08.2006 से अभियुक्त संख्या 6 और इसमें अभियुक्त ने भाग लिया था Nos.2,4,5 और 6। Ex.P92 (f) से पता चलता है कि उक्त बैठक में जमात-उल-मुजाहिदीन के नाम पर एक सोसायटी का गठन किया गया था और बैठक में जिहाद प्रशिक्षण में सहयोग करने पर सहमति बनी थी।

Ex.P92 (a) और (h) यह दर्शाते हैं कि तीसरी बैठक आयोजित की गई थी

18.12.2005 लक्कासांद्रा में अभियुक्त संख्या 2 के घर में, [2022] 10 एस. सी. आर.

बैंगलोर, और अभियुक्त Nos.2,4, और 6 ने उसी में भाग लिया। Ex.P92 (g) और (h) यह भी दर्शाते हैं कि अभियुक्त संख्या 5 को संबोधित किया गया है।

यह कहकर बैठक कि इस्लाम को हाथों में भेजा गया था

बंदूक और ए. के.-47। Ex.P92 (जी) और (एच) यह भी दर्शाते हैं कि अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 4 और अभियुक्त संख्या 6 को निर्देश दिया था। दरगाह और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करने के लिए वे सहमत हुए। Ex.P92 (g) और (h) यह भी दर्शाते हैं कि अगली बैठक 31.12.2005 पर तय की गई थी और तीसरी बैठक 8 बजे समाप्त हुई थीः 00 पी. एम. अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि Ex.P92 पर अधिलेखन हैं। यह सच है कि कुछ स्थानों पर हम अधिलेखन देख सकते हैं। तिथि के शीर्ष पर Ex.P92 (c) पर दिन का पुनर्लेखन होता है, लेकिन महीने और वर्ष के बारे में नहीं। इसी तरह, Ex.P92 (g) पर भी तिथि का पुनर्लेखन होता है। लेकिन, तीसरी बैठक के अंत में अगली बैठक की तारीख का बिना किसी पुनर्लेखन के विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसी तरह गायन में भी कुछ शब्द होते हैं।

बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन यह वाक्य का अर्थ छीन लेगा। इसलिए, मेरी राय है कि अधिलेखन स्वाभाविक हैं।

› एन 22.01.2006 वह पुलिस और ए-2 के साथ गया था; कि जब ए-2 के घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला; कि ए <पुलिस ने एक कमरे में जाकर एक सूटकेस खोला जो उसके साथ मौजूद चाबी का उपयोग करके बेडरूम में ओटी के नीचे पड़ा था, जिसके बाद,इस Exh.P-81, पी-92, छह वीडियो कैसेट (एम-15) और अन्य सामान पी-93 से पी-104 को पंचनामा Exh.P-105 के माध्यम से जब्त किया गया। गवाह I कि जब्ती के बाद उनकी उपस्थिति में, पंचनामा, Exh.P उनके द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास मोहम्मद इरफान बनाम था।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

पड़ोस की एक मस्जिद से मौलवी कहलाता था, जो लिखित सामग्री और पुस्तकों के नाम और कुछ सामग्री पढ़ता था। गवाह की प्रतिपरीक्षा ने मुख्य परीक्षा में किए गए दावों की विश्वसनीयता को दूर करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। पीडब्लू29 शाहनवाज अहमद ने अपदस्थ किया कि पुलिस ने उन्हें उर्दू पुस्तकों और अन्य सामग्री का अनुवाद करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि

उनकी उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया। गवाह के अनुसार, पंचनामा Exh.P-105 पर चार स्थानों पर उनके हस्ताक्षर बाद में लिए गए थे और उक्त पंचनामा एक्श की सामग्री। पी-105 उन्हें पढ़ा नहीं गया था। गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उससे जिरह की गई थी जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसने कभी भी किसी भी दस्तावेज़ पर उसकी सामग्री को जाने बिना हस्ताक्षर नहीं किए थे। 15. एक्सएच। पी-92, अन्य दस्तावेजों के साथ, पी. डब्ल्यू. 67, सैयद असगर इमाम, हस्त लेखन विशेषज्ञ को अभियुक्त के नमूना हस्ताक्षर के साथ सौंपा गया था। इस गवाह के अनुसार, एक्श की चादरों पर हस्ताक्षर। पी-92 को क्यू39 से क्यू44 के रूप में चिह्नित किया गया था और जब विशेषज्ञ ने तुलना की

Q39 से Q44 के साथ अभियुक्त के नमूना हस्ताक्षर, परिणाम से पता चलाः

(ए) क्यू39 और क्यू40 ए-2 के नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाते हैं।

(ग) क्यू42 ए-6 के नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाता है। (घ) क्यू43 ए-4 के नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाता है।

(ई) क्यू44 ए-1 के नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाता है।

पीडब्लू-67, सैयद असगर की गवाही का प्रासंगिक हिस्सा

इमाम इस प्रकार थेः

" 1981 से, मैं एफ. एस. एल., बेंगलुरु में हस्तलेखन और दस्तावेज़ विशेषज्ञों के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं विज्ञान स्नातक हूँ और मैंने अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, मंत्रालय से हस्तलेखन और दस्तावेज़ परीक्षा में विशेष डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्राप्त किया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

अपने कार्यकाल में मैंने कई प्रश्नों की जांच की है।

दस्तावेज़ और मैंने अपनी राय दी है।

14/3/2006 पर, मुझे ए. सी. पी. यशवंतपुरा उप-विभाग से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। बेंगलुरु शहर, मेरे लिए

जांच और सीआर में मेरी राय। सदाशिवनगर का सं. 3/06

पी. एस

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. आई. ओ. द्वारा प्रश्नगत लेखन वाली एक छोटी पॉकेट डायरी, जिसे क्यू1 से क्यू24 के रूप में चिह्नित किया गया है। अब मैं देखता हूं कि उक्त पॉकेट डायरी पहले से ही Ex.P.54 के रूप में चिह्नित है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

2 . आई. ओ. द्वारा क्यू25 से क्यू30 के रूप में चिह्नित प्रश्नवाचक लेखन वाली तीन खुली चिट्स। अब मैं उक्त तीन चिट्स देखता हूं, जो पहले से ही Ex.P.51 से 53 के रूप में चिह्नित हैं। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

3. एक छोटी पॉकेट नोट बुक (नई) जिसमें आई. ओ. द्वारा क्यू 31 से क्यू 38 के रूप में चिह्नित प्रश्न लिखित है। अब मुझे एक छोटी पॉकेट नोटबुक दिखाई देती है जिसे पहले से ही Ex.P130 के रूप में चिह्नित किया गया है।

इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

4. 2003 की एक डायरी-जिसमें आई. ओ. द्वारा [क्यू39 से क्यू44] के रूप में चिह्नित छह पत्रों में प्रश्नवाचक लेखन और हस्ताक्षर हैं। अब मैं देख रहा हूं कि 2003 की एक डायरी पहले से ही Ex.P.92 के रूप में चिह्नित है। इसका

प्रश्नगत लेखन की प्रासंगिक पत्रिकाओं को अब इस प्रकार चिह्नित किया गया है

Ex.P.92 (c) से (h)। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

5 . आई. ओ. की एक छोटी टेलीफोन पॉकेट डायरी (नई) क्यू. 45 से क्यू. 50 तक। अब मुझे उक्त एक टेलीफोन पॉकेट डायरी पहले से ही दिखाई देती है।

Ex.P.135 के रूप में चिह्नित। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

6 . एक छोटी सी पॉकेट बुक जिस पर प्रश्न पत्र लिखा हुआ था

आई. ओ. द्वारा क्यू51 से क्यू55 के रूप में अब मैं पहले से ही वही देख रहा हूँ

एक्स. पी. 113 के रूप में चिह्नित। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

7 . आई. ओ. द्वारा प्रश्न लिखित एक नोटबुक का एक खुला पृष्ठ, जिसे क्यू56, क्यू57 के रूप में चिह्नित किया गया है। अब मैं पहले से ही वही देख रहा हूँ

Ex.P.114 के रूप में चिह्नित। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

8. एक छोटी पॉकेट नोट बुक जिसमें प्रश्नवाचक लेखन है

आई. ओ. द्वारा क्यू. 58 से क्यू. 60 के रूप में चिह्नित किया गया। अब मैं वही देख रहा हूँ

पहले से ही Ex.P.116 के रूप में चिह्नित है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

9. एक छोटी सी पॉकेट बुक जिस पर प्रश्न पत्र लिखा हुआ था

आई. ओ. द्वारा क्यू61 से क्यू79 के रूप में अब मैं पहले से ही वही देख रहा हूँ Ex.P.148 के रूप में चिह्नित। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

10. Q80 के रूप में चिह्नित प्रश्न लिखित आठ चिट्स

आई. ओ. द्वारा प्रश्न 91. अब मैं वही देख रहा हूँ जो पहले से ही Ex.P.149,150,151,138,141,139,140 और 142 के रूप में चिह्नित है। यह सहन करता है।

मेरे हस्ताक्षर।

हम्माद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

अफसार पाशा का नमूना लेखन और हस्ताक्षर आई. ओ. द्वारा ई. डब्ल्यू. 3, ई. डब्ल्यू. 4, एस. डब्ल्यू. 5 और एस. डब्ल्यू. 8, एस. 1 और एस. 4 के रूप में चिह्नित दस पत्र। अब मैं वही देख रहा हूँ जो पहले से ही चिह्नित है

उदा. पी. 196 से 205 तक। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। नमूना लेखन और हस्ताक्षर मोहम्मद के बताए जाते हैं

आई. ओ. द्वारा ई. डब्ल्यू. 5, ई. डब्ल्यू. 6, एस. डब्ल्यू. 9, एस. डब्ल्यू. 10, एस. 5 और एस. 6 के रूप में चिह्नित छह पत्रकों पर इरफान। अब मैं वही देख रहा हूं जो पहले से ही Ex.P.206 से Ex.P.211 के रूप में चिह्नित है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

नमूना लेखन और हस्ताक्षर नूरुल खान के बताए जाते हैं।

आई. ओ. द्वारा ई. डब्ल्यू. 7, ई. डब्ल्यू. 8, एस. 7, एस. 8 के रूप में चिह्नित चार पत्रकों पर अब मैं वही देख रहा हूं जो पहले से ही Ex.P.181 से 184 के रूप में चिह्नित है। यह.

नमूना लेखन और हस्ताक्षर को चार पत्रकों पर नजमुद्दीन कहा जाता है, जिसे चार पत्रकों पर नजमुद्दीन के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसे आई. ओ. द्वारा ई. डब्ल्यू. 9, ई. डब्ल्यू. 10, एस. 9 और 10 डॉलर के रूप में चिह्नित किया गया है। अब मैं देखता हूं कि यह पहले से ही Ex.P.185 से 188 के रूप में चिह्नित है। यह मुझे सहन करता है हस्ताक्षर करें।

आई. ओ. द्वारा ई. डब्ल्यू. 11, ई. डब्ल्यू. 12, एस. डब्ल्यू. 11 और एस. डब्ल्यू. 12, एस. 11 और एस. 12 के रूप में चिह्नित छह पत्रकों पर नमूना लेखन और हस्ताक्षर चांदपाशा के बताए गए हैं। अब मैं वही देख रहा हूं जो Ex.P.227 से Ex.P.232 के रूप में चिह्नित है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। नमूना हस्ताक्षर मोहम्मद रज़ुर रहमान का बताया गया

आई. ओ. द्वारा एस. 13 और एस. 14 के रूप में चिह्नित दो पत्रकों पर अब मुझे वही Ex.P.223 और Ex.P.234 के रूप में चिह्नित दिखाई देता है। यह सहन करता है।

मेरे हस्ताक्षर।

उपरोक्त आयन और नमूना लेखन और हस्ताक्षरों की गहन और वैज्ञानिक जांच के बाद मैं विंग राय पर आयाः

ई. डब्ल्यू. 1, ई. डब्ल्यू. 2, एस. डब्ल्यू. 1 से एस. डब्ल्यू. 4 के रूप में चिह्नित नमूना लेखन और क्यू. 2, क्यू. 3, क्यू. 4 के रूप में चिह्नित प्रश्न लेखन एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. नमूना लेखन को एस. डब्ल्यू. 7, एस. डब्ल्यू. 8, ई. डब्ल्यू. 3, ई. डब्ल्यू. 4, एस. 1, एस. 2 के रूप में चिह्नित किया गया और प्रश्न लेखन को क्यू. 31 से क्यू. 40 रे के रूप में चिह्नित किया गया।

एक ही व्यक्ति द्वारा लिखित परीक्षा।

3. EW5 के रूप में चिह्नित नमूना लेखन और हस्ताक्षर,

ई. डब्ल्यू. 6, एस. डब्ल्यू. 9, एस. डब्ल्यू. 10 और एस. 5, एस. 6 और प्रश्नगत लेखन और हस्ताक्षर क्यू. 47 से क्यू. 50 और क्यू. 41 के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

एक ही व्यक्ति।

4. EW7 के रूप में चिह्नित नमूना लेखन और हस्ताक्षर,

ई. डब्ल्यू. 8, एस. 7 और एस. 8 और लेखन और हस्ताक्षर पर सवाल उठाए गए क्यू53, क्यू54 और क्यू43 के रूप में चिह्नित एक और एक ही द्वारा लिखे जाते हैं।

व्यक्ति।

5. EW9 के रूप में चिह्नित नमूना लेखन और हस्ताक्षर,

EW10 और S9 और S10 और लेखन और हस्ताक्षर पर सवाल उठाए गए

क्यू56 से क्यू60 और क्यू42 के रूप में चिह्नित एक द्वारा लिखे जाते हैं और

एक ही व्यक्ति।

6. ईडब्ल्यू11, ईडब्ल्यू12, एसडब्ल्यू11 के रूप में चिह्नित नमूना लेखन,

एस. डब्ल्यू. 12 और क्यू86 के रूप में चिह्नित प्रश्न लेखन लिखे गए हैं।

एक ही व्यक्ति द्वारा।

7. $13, S14 के रूप में चिह्नित नमूना हस्ताक्षर और Q44 के रूप में चिह्नित प्रश्न हस्ताक्षर एक ही द्वारा लिखे गए हैं।

व्यक्ति।

8. पूछताछ की गई राय व्यक्त करना संभव नहीं हुआ है।

हाथ पर नमूना लेखन के आधार पर क्यू1, क्यू5 से क्यू30, क्यू45, क्यू46, क्यू51, क्यू52, क्यू55, क्यू61 से क्यू85, क्यू87 से क्यू91 के रूप में चिह्नित लेखन।

s Ex.P.235 (a) से (c)। उक्त प्रमाणपत्र सहायक निदेशक, एफ. एस. एल. द्वारा हस्ताक्षरित है और निदेशक द्वारा आई. ओ. को अग्रेषित किया जाता है।अभियुक्त द्वारा एक्सएच के संबंध में की गई प्रतिपरीक्षा में पर्याप्त तथ्य सामने आए। पी-92। कुछ मिनटों में 2, ए-4, ए-5 और ए-6 के हस्ताक्षर,

यह, इस प्रकार किसी भी संदेह से परे साबित हुए।

6. से बरामद पुस्तकों और साहित्य की बरामदगी1 , जो अभियोजन के अनुसार भड़काऊ सामग्री थी,

जिनसे निपटा जाएः

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

(ए) 22.01.2016 पर, ए-2 पीडब्लू72 को अपने घर ले गया जिससे कुछ साहित्य और पुस्तकें बरामद हुईं जो इसके अनुसार थीं।

'तकबीर' (Exh.P-81) नामक एक पुस्तक, 'जिहाद' नामक एक पुस्तक जिसमें 66 पृष्ठ (Exh.P-82) हैं,
'जमात-ए-मुजाहिदीन' (Exh.P83) शीर्षक के तहत साहित्य,

'हज़रत मोहम्मद कजिकर' नामक एक पुस्तक (Exh.P) 84) , 'वार्निंग' नामक पुस्तक (Exh.P 85), 'अलबालाक' नामक पुस्तक (Exh.P-87 और Exh.P-88), 'येहूदियोंकी तराहिम' नामक पुस्तक (Exh.P-90) और 40 का संग्रह

उपरोक्त डायरी के अलावा पर्चे (Exh.P-91)

(Exh.P-92)।

(बी) ए-3 द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान के अनुसार, चार पुस्तकें; जादुल मुजाहिदीन, तलाक, तकबीर और बिद्दत, एक्सएचएस। पी-64 से पी-67 क्रमशः बरामद किए गए

पंचनामा एक्श। पी-68।

(ग) ए-5 के स्वैच्छिक कथन से दास्तानी मुजाहिद और जिहाद (प्रदर्शनी पी-76 और पी-77) नामक पुस्तकें और कुछ लेटरहेड बरामद हुए।

17. अभियोजन पक्ष ने इकबालिया बयानों पर भी भरोसा किया

क्यूज्ड नोस। 4 , 6 और 7 जो 9 वें अतिरिक्त द्वारा दर्ज किए गए थे

महानगर दंडाधिकारी, बैंगलोर शहर और प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित

3 , पी-269 और पी-270 क्रमशः।

18. अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 1 में यह विचार व्यक्त किया कि 1967 के अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अवर सचिव द्वारा दी गई मंजूरी दोषपूर्ण थी।

19. ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़, किताबें और साहित्य थे -

विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के अनुच्छेद 53-56 में

: :

" 53. प्रारंभिक चरण में मैंने एक टिप्पणी की है कि सभी उर्दू प्रत्येक अभियुक्त से आई. ओ. द्वारा जब्त की गई पुस्तकों पर विचार किया जाएगा।

एक साथ। मैंने किताबों और अन्य की जब्ती के बारे में देखा है

आई. ओ. द्वारा Ex.P105 के तहत अभियुक्त संख्या 2 से दस्तावेज। द.

अभियुक्त संख्या 2 से जब्त की गई पुस्तकों और दस्तावेजों को इस प्रकार चिह्नित किया गया है -

Ex.P81 से 90 तक। किताब ताकबीर को Ex.P81 के रूप में चिह्नित किया गया है। द.

पुस्तक 'जिहाद' को Ex.P82 के रूप में चिह्नित किया गया है। पुस्तक 'जमाल-ए मुजाहिदीन' [2022] 10 एस. सी. आर.

Ex.P83 के रूप में चिह्नित किया गया है। पुस्तक 'हज़रत मोहम्मद ज़कीकर' को Ex.P84 के रूप में चिह्नित किया गया है। पुस्तक 'चेतावनी' को Ex.P86 के रूप में चिह्नित किया गया है। साप्ताहिक पत्रिका 'अलबालाक' को Ex.P87 से 88 के रूप में चिह्नित किया गया है।

रैथुल्लाह फारूकी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक को Ex.P89 के रूप में चिह्नित किया गया है।

और 40 पर्चे Ex.P90 के रूप में चिह्नित हैं। पीडब्लू-72 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने पड़ोसी गवाह शाहनवाज अहमद, जो उर्दू को पंच के रूप में जानते हैं, को उक्त पुस्तक की सामग्री जानने के लिए सुरक्षित कर लिया है। उक्त गवाह से पीडब्लू-29 के रूप में पूछताछ की जाती है। यह गवाह मुकर गया और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। कुछ लोगों के लिए

जिस हद तक उन्होंने कहा है कि मोहम्मद अनवर और मकान मालिक लक्कासांद्रा ने उन्हें उर्दू पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए बुलाया था। इसके अलावा, पीडब्लू-29 ने कहा है कि वह घर गया था और पुलिस मौजूद थी अनवर के घर में। उसने यह भी कहा है कि पुलिस ने उसे उर्दू पुस्तक का अनुवाद करने के लिए कहा और उसने उसे दी गई पुस्तकों का अनुवाद किया। हालाँकि यह गवाह पंचनाम यानी Ex.P105 के संचालन के बारे में शत्रुतापूर्ण हो गया है, लेकिन कुछ हद तक हमें पता चल सकता है कि उसने पुलिस को उर्दू पुस्तकों का अनुवाद किया है। पीडब्लू-72 ने कहा है कि किताबों पर यानी Ex.P81 (तकबीर) क्रॉस राइफल और तलवार का प्रतीक है। पीडब्लू-72 ने कहा है कि गवाह, अर्थात्

शाहनवाज अहमद ने पुस्तक का सत्यापन किया है और बताया है कि 9 वें अध्याय में 10 में "भारत मिट जानेवाला है" के रूप में एक वाक्यांश है। अध्याय के रूप में "हाथ में गन उटाओ", और 14 वें अध्याय "लश्कर-ए-तैयबा" में, पीडब्लू72 ने कहा है कि, प्रासंगिक अध्याय थे

लाल स्याही से चिह्नित और पीडब्लू-29 ने प्रासंगिक अध्यायों का अर्थ समझाया है। पीडब्लू-72 ने आगे कहा है कि शाहनवाज़ ने बताया कि वे लेख राष्ट्र-विरोधी और उत्तेजक हैं। पीडब्लू-72 ने यह भी कहा है कि उक्त गवाह शाहनवाज़ ने समझाया कि

अन्य पुस्तकों का भी अर्थ। पीडब्लू-72 ने आगे यह भी कहा कि गवाह शाहनवाज़ ने बताया कि 'वार्निंग' पुस्तक में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और गलत के बारे में भी लिखा गया है।

दरगाहों पर आदेश समुदायों द्वारा कार्य करें।

54. जैसा कि मैंने पहले चरण में आरोपी संख्या 3 से 67 तक की पुस्तकों की जब्ती के बारे में चर्चा की थी, वह है 'जादुल मजाहिद्दीन', वह है 'अलबालाक', वह है 'तकबीर' और वह है 'बिद्दत'। पीडब्लू-50 पुलिस अधिकारी है, जिसने आरोपी नंबर 3 से Ex.P64 जब्त किया। पीडब्लू-50 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उक्त पुस्तकों की सामग्री उर्दू जानने वाले रुकमान अहमद द्वारा समझाई गई थी। उक्त गवाह ने पी. डब्ल्यू.-27 के रूप में जाँच की। वह शत्रुतापूर्ण हो गए, न कि मोहम्मद इरफान बनाम।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। लेकिन, यह गवाह Ex.P66 यानी 'देखकर। 'तकबीर' ने समझाया कि 'तकबीर' का अर्थ है 'अल्लाह की आवाज़'। यह गवाह ने यह भी कहा है कि पृष्ठ No.166 पर एक भाग में यह उल्लेख किया गया है कि 'भारत नष्ट कर देगा' और यह भी लिखा गया है कि, 'बंदूक पकड़ने के लिए' और उक्त पुस्तक पाकिस्तान में छपी है। उन्होंने यह भी कहा है कि पेज No.64 पर महिमामंडित करने के बारे में एक पाठ है

जिहाद में घायल व्यक्ति। पीडब्लू-50 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि,

पीडब्लू-27 ने 'तकबीर' पुस्तक की जांच की है और बताया है कि 9वें अध्याय में इसे 'भारत मिट जानेवाला है' के रूप में लिखा गया है और उक्त पुस्तक के 10वें अध्याय में इसे 'हाथ में गुन उटाओ' के रूप में लिखा गया है। पीडब्लू 50 ने आगे कहा कि गवाह यानी पीडब्लू-27 ने अपने द्वारा जब्त की गई पुस्तकों की सामग्री की जांच की है। अभियुक्त संख्या 2 और 3 के अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि कम समय के भीतर सभी पुस्तकों की सामग्री को जानना और इसका अनुवाद करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कुछ उठाकर

वाक्यों में, पुस्तक का अर्थ एकत्र नहीं किया जा सकता है और पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद ही पुस्तक का वास्तविक अर्थ निकाला जा सकता है। पीडब्लू-50 और पीडब्लू-72 के साक्ष्यों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की व्याख्या उन्होंने ही की थी। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पूरी पुस्तक का सही अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। आई. ओ. ने सभी पुस्तकों को उर्दू अकादमी के अध्यक्ष को इसके अनुवाद के लिए भेजा है। उर्दू अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष एम. नूरुद्दीन को पीडब्लू-65 माना जाता है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2006 के दौरान वे इस रूप में काम कर रहे थे

उर्दू अकादमी के अध्यक्ष और उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने उर्दू भाषा में एम. ए., पी. एच. डी. प्राप्त की है। उन्होंने यह भी कहा है कि जुलाई या अगस्त 2006 के महीने में ए. सी. पी., यशवंतपुरा उपखंड ने कुछ अरबी और उर्दू पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद के लिए भेजा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें लगभग 15 किताबें सौंपी गईं, जिनमें सूरजमुखी नोटबुक, 'अलबल्लाक' साप्ताहिक पत्रिकाएं, 'बिद्दत', 'जादुल मुजाहिदीन', 'तगबीर', 'जमाले मुजाहिदीन', 'वार्निंग', 'क्या औरथ मस्जिद या एड्गा नहीं जा शक्ति', 'अलबालाक के जेरायम' की दो साप्ताहिक पत्रिकाएं, 'जादुल मुजाहिदीन' और 'वेदों की दुनिया में' के 40 पर्चे शामिल हैं। पीडब्लू 65 ने आगे कहा है कि समय की कमी के कारण उन्होंने अपने सहयोगी की सहायता ली। जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया है कि सभी 15 पुस्तकें उनके दोस्त ने पढ़ी थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि, उनके दोस्त ने कुछ हिस्से को रेखांकित किया है जिन्हें केवल उन्होंने पढ़ा था। जैसा कि अभियुक्त [2022] 10 एस. सी. आर. के वकील ने तर्क दिया।

पूरे पाठ को पढ़े बिना वास्तविक अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। यह सच है कि पीडब्लू-62 ने कहा है कि उन्होंने उस हिस्से को पढ़ा है जिसे उनके सहयोगी ने रेखांकित किया था। यहाँ मैं हूँ ध्यान दें कि जैसा कि पीडब्लू-65 द्वारा मुख्य परीक्षा में ही कहा गया है कि समय की कमी के कारण उन्होंने अपने सहकर्मी की सहायता ली, जो उर्दू और अरबी भाषा में पारंगत थे। जिस व्यक्ति ने उनकी सहायता की, वह कोई और नहीं बल्कि पीडब्लू 65 के सहयोगी हैं। पीडब्लू-65 ने कहा है कि उन्होंने Ex.P225 के अनुसार अपनी रिपोर्ट में उन्हें दी गई सभी पुस्तकों का सार दिया है। उन्होंने कहा है कि Ex.P76 का सार यह है कि "लोकतंत्र इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं है और सत्ता हासिल करने के लिए हत्या करना अपरिहार्य है"। उन्होंने यह भी कहा है कि, Ex.P76 के पृष्ठ No.16 में यह लिखा गया है कि मुस्लिम समुदाय को बहुसंख्यक समुदायों द्वारा दबा दिया जाता है और इसका उद्देश्य है

मुसलमान समुदाय को जगाने के लिए नहीं और मुसलमान को तैयारी नहीं करनी चाहिए

हथियारों के साथ ', जैसे, इसका अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। आगे पीडब्लू-65 ने कहा है कि उक्त पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि 'चूंकि मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इसलिए

लोकतांत्रिक प्रणाली में वे सत्ता हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि किताब 'तकबीर' यानी Ex.P81 में लिखा है कि 'भारत नष्ट कर देगा' और यह भी लिखा है कि 'हाथों में बंदूक लेना'। यह भी लिखा गया है कि 'लश्कर-ए-तैयबा' काफिरों को नष्ट कर देता है और लश्कर-ए-तैयबा अच्छी चीजों के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा, पीडब्लू-65 ने कहा है कि उसने Ex.P64 यानी जादुल मुजाहिद पुस्तक का सार दिया है और इसका सार यह है कि 'पैगंबर ने भारत पर हमला करने के लिए कहा है'। पीडब्लू-65 ने कहा है कि वास्तव में पैगंबर ने ऐसा नहीं कहा है, पीडब्लू-65 ने विशेष रूप से कहा है कि यह पुस्तक उत्तेजक और सबसे खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा है कि 'मुजाहिद-के-आजाद' पुस्तक भी उत्तेजक और भारत विरोधी है। Ex.P81 के संबंध में विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि, काफिर वे हैं जो इस्लाम मार्ग से भटकते हैं। Ex.P81 के अनुसार यह गैर-मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध है। जिहाद के अर्थ के बारे में दोनों पक्षों में बहुत बहस हुई है। उन्होंने अनवर शेख द्वारा लिखित पुस्तक इस्लाम, सेक्स एंड वायलेंस का उल्लेख किया है। 7 वें अध्याय में लेखक ने जिहाद की जाँच इस प्रकार की है -

" जिहाद एक अरबी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'प्रयास' लेकिन एक इस्लामी सिद्धांत के रूप में, इसका अर्थ अल्लाह (अरबी भगवान) के मार्ग में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए लड़ना है। अविश्वासी जब तक वे मुसलमान बनने के लिए अपना विश्वास नहीं छोड़ देते या अपमान का भुगतान करके अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करते

कर को 'जाजिया' कहा जाता है। मोहम्मद इरफान बनाम।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

55. अभियुक्त संख्या 3 के वकील ने वेबसाइट की प्रति का उल्लेख किया

विकिपीडिया, जिसमें जिहाद का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

" इस्लाम के आधिकारिक शब्दकोश के अनुसार जिहाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः उन लोगों के साथ एक धार्मिक युद्ध जो मुहम्मद के मिशन में अविश्वासी हैं, विशेष रूप से इस्लाम को आगे बढ़ाने और मुसलमानों से बुराई को दूर करने के उद्देश्य से आदेश दिया गया था। "

अभियोजक ने तर्क दिया कि जिहाद के नाम पर ये संगठन विनाशकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने विश्व व्यापार संगठन पर आतंकवादी हमलों, भारतीय संसद पर हमले और बॉम्बे के होटल ताज का उल्लेख किया है। इस मामले में हम अन्य घटनाओं के बारे में चिंतित नहीं हैं और हमें वर्तमान मामले में रखी गई सामग्री को देखना होगा। यदि हम साक्ष्य पीडब्लू-65 पर वापस आते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में जब्त की गई कुछ पुस्तकें उत्तेजक, खतरनाक और भारत विरोधी भी हैं। पीडब्लू-65 एक जिम्मेदार व्यक्ति है। इसलिए, हालाँकि उन्होंने पूरा अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो पुस्तक प्रस्तुत की है, उसका सार स्वीकार किया जाना चाहिए।

20. बरामद की गई वस्तुओं और अभिलेख पर अन्य सामग्री के माध्यम से स्थापित किए गए उनके संबंध पर विचार करते हुए और ऐसे पहलुओं से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकालाः

खतरनाक और राष्ट्र-विरोधी हैं। मैंने पूर्वगामी पैरास में विभिन्न स्थानों पर अभियुक्त Nos.2,3,4 और 6 से जाँच अधिकारी द्वारा विस्फोटक पदार्थ, हथियार और गोला-बारूद की जब्ती के बारे में भी चर्चा की है। यह सच है कि जब आरोपी नंबर 3 को गिरफ्तार किया गया था, तो जांच अधिकारी ने कुछ विस्फोटक पदार्थ जब्त किया था। लेकिन, अभियुक्त Nos.2 के संबंध में, उनके स्वैच्छिक बयान के आधार पर 4 और 6 विस्फोटक पदार्थ, और हथियार और गोला-बारूद जब्त किए गए। जैसा कि 2007 सी. आर. एल. में रिपोर्ट किए गए निर्णय में कहा गया है। एल. जे. 1386 जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वर्तमान मामले में भी भारतीय साक्ष्य की धारा 111 ए के तहत अनुमान लगाया गया है। अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन, उक्त मामले-कानून में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व है कि पुरुषों, हथियारों और गोला-बारूद का संग्रह किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं था, बल्कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करना था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के तहत अपराध और यह [2022] 10 एस. सी. आर. है।

अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि अभियुक्त से बरामद हथियारों और गोला-बारूद के कारण होने वाली अग्नि शक्ति या संभावित तबाही ऐसी थी कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी की ओर इशारा करेगी। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि आई. ओ. ने आरोपी संख्या 6 से विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय और एफ. एस. एल

विस्फोटक पदार्थ की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के पक्ष में है। यह सच है कि अभियुक्त संख्या 1,5 और 7 से जब्त किए गए दस्तावेज़ अपराध के बराबर नहीं हैं। मैंने यह भी देखा है कि

अभियुक्तक स्वीकारोक्ति बयान अभियोजन पक्षक मामलामे मदति नहि करैत अछि। लेकिन, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा की है Ex.P92 स्पष्ट रूप से जिहाद गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। केवल इसलिए कि 'जिहाद' शब्द का एक संदर्भ है जो अकेले लड़ने का गठन नहीं करता है

तैयारी के चरण में मेरी राय है कि धारा 153-ए और 153 भारतीय दंड संहिता का बी आकर्षित नहीं करता है। इन टिप्पणियों के साथ मैं इन बिंदुओं का उत्तर आंशिक रूप से सकारात्मक और आंशिक रूप से नकारात्मक में देता हूं। ”

21. केहर हन और ओआरएस में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करने के बाद। बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) और नजीर खान और दिल्ली के अन्य लोगों ने राजद द्वारा की गई साजिश के पहलू और उनके द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति पर, निचली अदालत ने कहा।

वेदः -

" 73. उपरोक्त निर्णय में उनके अधिपतियों ने यह भी देखा है कि साजिश के अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक है -

1988 एससी 1883: 1988 एस. सी. आर. पूरक (2) 24

2003 एससी 4427: (2003) 8 एस. सी. सी. 461 मोहम्मद इरफान बनाम।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य करने के लिए समझौता। अवैध कार्य समझौते के अनुसार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन समझौता ही एक अपराध है और दंडनीय है। संदर्भ भारतीय
दंड संहिता की धारा 120-ए, 120-बी इन पहलुओं को संदेह से परे स्पष्ट करेगी। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अवैध माध्यमों से अवैध कार्य या कानूनी कार्य करने के लिए समझौता करना है

षड्यंत्र का सार "।

22. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 17.12.2011 के निर्णय द्वारा अभियुक्त को इसके तहत आरोपों से बरी कर दिया

अपेक्षित मंजूरी के अभाव में 1967 के अधिनियम के प्रावधान। इसके अलावा, इसने ए-7 को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन ए-1 से ए-6 को निम्नानुसार दोषी पाया।

" आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत कार्य करते हुए आरोपी संख्या 1 से 6 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 121-ए, 121, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 25 और 26 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है।

शस्त्र अधिनियम।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (1) के तहत कार्य करना

अभियुक्त सं. 7 को दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया गया है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10,13, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 121-ए, 121,153-ए, 153-बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और 6 और धारा 25

और शस्त्र अधिनियम की 26.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (1) के तहत कार्य करना

अभियुक्त नं. 1 गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 10 और 13 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 6 को बरी कर दिया गया है।

अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 153-बी।

अपने दिनांकित 19.12.2011 के सजा के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने मूल वाक्य अधिरोपित किए, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 2 में सारणीबद्ध किया गया है।

23. निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न चार अपीलों पर विचार किया गया, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3 में विस्तृत है।

और उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और आदेश के माध्यम से निपटाया गया जिसे वर्तमान में चुनौती दी जा रही है।

ए) विभिन्न के संबंध में दिए गए प्रतिबंधों के मुद्दे पर

अपराध, उच्च न्यायालय ने पाया किः -

" 34. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 45 के अनुसार, केंद्र सरकार ने [2022] 10 एस. सी. आर. के सचिव को नामित किया है।

मंजूरी आदेश जारी करने का अधिकार। इस मामले में, पीडब्लू-73 बिपिन गोपाल कृष्ण, अतिरिक्त डीजीपी ने रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री का अध्ययन किया है और राज्य को मंजूरी आदेश देने की सिफारिश की है। सरकार, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और उसके बाद

मंजूरी आदेश जारी करने का अधिकार। उनके माध्यम से पारित पूरी सामग्री की उनके द्वारा जांच की गई है और मंजूरी देने का फैसला किया गया है और उसके बाद उन्होंने सरकार से अनुसमर्थन प्राप्त किया और फिर अवर सचिव के माध्यम से मंजूरी आदेश जारी करने का आदेश दिया। हम समझ सकते हैं कि क्या पीडब्लू-73, जो उस समय गृह विभाग के सचिव थे, उनके पास बिल्कुल नहीं आए हैं। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मंजूरी देने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है, चीजें अलग होतीं, लेकिन उन्होंने सही तरीके से अपना दिमाग लगाया है और निर्णय लिया है। गृह विभाग के अवर सचिव ने केवल उनकी ओर से मंजूरी आदेश को सूचित किया है।

सरकार।

36. जैसा कि पूरे अभिलेखों से देखा जा सकता है, हम कहेंगे कि यह सरकार की ओर से पीडब्लू-73 द्वारा लिया गया निर्णय है।

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

इसलिए, हमारी राय में, मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी

मामला यू / s.120-B, 121,121-A, 122,124-A, 153-A और 153 और के रूप में

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत वैध और सही। ट्रायल कोर्ट ने खुद को आश्वस्त किया है कि यह है

केवल अवर सचिव जिसने निर्णय लिया है, और गलत तरीके से

जहां तक यह अपराध से संबंधित है, मंजूरी आदेश को अस्वीकार कर दिया।

एस. 10 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13। हमारी राय में, विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा लिया गया उक्त रुख सही नहीं है। निचली अदालत को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दंडनीय है।

गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 10 और 13 के तहत

अधिनियम, 1967 भी वैध है। हम तदनुसार मानते हैं कि विचारण न्यायालय

ऐसा करने में एक गंभीर गलती की है। हम मानते हैं कि

अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया है कि पीडब्लू-73 द्वारा दी गई मंजूरी हालांकि सरकार द्वारा अनुमोदित या सरकार द्वारा अनुमोदित है।

37. जहाँ तक यह विस्फोटक पदार्थों के तहत मंजूरी से संबंधित है अधिनियम और यू / शस्त्र अधिनियम की धारा 39, पीडब्लू-70 अजय कुमार सिंह,

एफ. आई. आर., एफ. एस. एल. रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज और अध्ययन के बाद रिपोर्ट और वे दस्तावेज जिन्हें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के अनुसार मंजूरी दी है

266 और उन्होंने कहा है कि उन्होंने यू/मंजूरी भी जारी की है एस. 7 का

पूरी सामग्री को देखने के बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम रिकॉर्ड में। इसलिए, पुलिस आयुक्त, शहर

शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक के तहत दंडनीय अपराध के लिए पदार्थ अधिनियम "।

बी) ए-7 के बरी होने की पुष्टि करते हुए, ए-1,6 से वसूली और रिकॉर्ड पर सामग्री पर दृष्टिकोण से विचार किया गया था।

आरोप के अनुसार साजिश साबित हुई या नहीं। सवाल हैं।निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त संख्या के बीच साजिश को दिखाने के लिए सामग्री उपलब्ध है। 1 6 को जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है और यह पता लगाने के लिए कि क्या अभियुक्त Nos.2 से 7 के कहने पर दोषपूर्ण वस्तुओं की बरामदगी, क्या यह साजिश को स्थापित करती है अभियुक्त संख्या के बीच। 1 6 तक और उस साजिश के संबंध में है

भारत सरकार को अस्थिर करना और भारत के लोगों के बीच कोई सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना और क्या वे समाज विरोधी तत्व हैं और सुधार के साथ उनका आचरण भी। उनके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के बराबर है जैसा कि उनके द्वारा लागू किया गया है

पुलिस "।

ग) अभिलेख पर प्रकाश और साक्ष्य में प्रदर्शनी पी-27 और पी-92 के प्रभाव पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहाः

और यह गवाह भी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा था। वास्तव में, अभियुक्तों Nos.2 से 6 तक को मस्जिद से बेदखल कर दिया गया था क्योंकि उनकी नमाज़ की प्रक्रियाएँ अलग थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि ए-1 चिंतामणि में आया था और ए-2 ने उन्हें ए-1 से इस आधार पर परिचित कराया है कि ए-1 और ए-2 सऊदी में दोस्त बन गए थे। अरबिया। हालाँकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उक्त बैठक में वे चिंतामणि में एक-दूसरे से मिले थे, ए-1 ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को एक उत्तेजक भाषण दिया है कि मुसलमानों को जिहाद की घोषणा करनी है और वह

पैसे, बम की आपूर्ति करेंगे और भारत को नष्ट करने के लिए प्रशिक्षण भी देंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ए-1 से ए-6 एक-दूसरे को जानते थे और ए-1 चिंतामणि के पास आया और वह अन्य सभी अभियुक्त व्यक्तियों से मिला और उनसे बात की। इस पृष्ठभूमि में, एक

एक्स. पी.-92 की विषय-वस्तु को समझना होगा। (घ) प्रदर्शनी 92 की विषय-वस्तु पर निम्नलिखित रूप में विचार किया गयाः

" 94. एक्स पी 92 (सी) और (डी) में पाठों के योग और सार से पता चलता है कि आरोपी व्यक्तियों और अन्य तथाकथित न्यासियों के बीच एक धार्मिक बैठक की आड़ में 'जिहाद' बैठक आयोजित की गई थी।

अब्दुल रहमान (ए-1) को अफसार पाशा (ए-2) द्वारा दूसरों से मिलवाया गया था। ए-1 ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। गुजरात में मुसलमान मारे गए और

सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ लड़ना होगा। ए-1 धन की आपूर्ति करेगा, मोहम्मद इरफान बनाम।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

बंदूकें, बम और विस्फोटक आदि, उसी बैठक में यह भी बताया गया है कि अन्य न्यासी फिरोज, जमीर और अमीर, जिन्होंने ए-1 के भाषण का समर्थन नहीं किया है, वे यह कहकर भाग लेने के लिए अनिच्छुक थे कि यदि वे ए-1 द्वारा उपदेशित ऐसे अवैध कार्य करते हैं, तो इससे भारत में मुस्लिम समुदाय को असुविधा होगी और इसलिए वे सभी ए-1 से दूर चले गए।

बैठक होती है। लेकिन अन्य व्यक्ति ए-2 ए-4 और ए-6 जिन्होंने ए-1 के भाषण को स्वीकार किया है, वे उक्त बैठक में अपने हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें ए-1 भी शामिल है जिसने अपने हस्ताक्षर किए हैं और बैठक रात 8 बजे समाप्त हुई थी।

95. बेशक, तारीख के संबंध में कुछ अति-लेखन है, जिसे 12 के बजाय 10 के रूप में अधिलेखित किया गया प्रतीत होता है और

मद सं. 7 पर फिरोज के नाम के संबंध में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यह उनका मामला है कि वे न्यास के लाभ के लिए एक साथ बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि एक्स. पी.-92 उनकी बैठक पुस्तिका है। अभियुक्त की यह जिम्मेदारी है कि वह बताए कि क्या उक्त दस्तावेज़ में कोई अति-लेखन या कोई गलती है, क्योंकि ए-1, ए-2, ए-4 और ए-6 के हस्ताक्षर भी विशेषज्ञों को भेजे गए हैं और विशेषज्ञों ने भी राय दी है कि

यह ए-1, ए-2, ए-4 और ए-6 का हस्ताक्षर है।

***

***

***

100. कन्नड़ संस्करण का योग और सार जाता है

दर्शाइए कि ए-5 ने उक्त बैठक को यह कहकर संबोधित किया कि इस्लाम पैगंबर के हाथों में भेजा गया था, जो अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाता है तो 'जिहाद' की घोषणा करनी होगी। ए-6 ने उक्त बैठक को यह कहते हुए भी संबोधित किया कि 'जिहाद' की शुरुआत दोपहर का भोजन (दावत) देकर की जानी चाहिए और यदि कोई इसका विरोध करता है, तो 'जिहाद' की घोषणा किसी भी समय की जानी चाहिए। अफसार पाशा (ए-2)

उक्त बैठक को यह कहते हुए भी संबोधित किया कि 'जिहाद' की घोषणा भगवान के नाम पर की जानी चाहिए, अगर कोई मारा जाता है तो वे 'शाहिद' बन जाएंगे। ए-2 ने आगे यह भी समझाया कि इसका क्या अर्थ है

कुवथ, कि "कुवथ" का अर्थ है "शक्ति" और तारिकसाहनी और बांग्लादेश द्वारा दी गई पुस्तक के हस्त-लेखन का उल्लेख करता है। ए-2 ने बताया कि शक्ति बम, बंदूक और ए. के.-47 में है। ए-2 ने ए-4 और ए-6 को दरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया। इसके लिए वे सभी सहमत थे। Ex.P92 (g) यह भी दर्शाता है कि अगली बैठक 31.12.2016 पर तय की गई थी, इसलिए तीसरी बैठक रात 8 बजे समाप्त हुई।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

101. उपर्युक्त एक्स. पी.-92 (सी) से (एच) को देखते हुए, यह खुलासा करता है और कल्पना के किसी भी विस्तार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे सभी हैं।

ट्रस्ट से संबंधित धार्मिक बैठकें, कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह एक्स. पी.-92 कार्यवृत्त पुस्तिका है

न्यास के संबंध में न्यास के किसी भी उद्देश्य और नीतियों का उल्लेख भी नहीं है। दूसरी ओर, पूरी बैठकें बदला लेने की कार्रवाई करने के उद्देश्य से आयोजित की गईं, क्योंकि

बाबरी मस्जिद का विध्वंस और गुजरात में मुसलमानों की हत्या और

उस उद्देश्य के लिए वे प्रशिक्षण ले रहे हैं और बंदूकें, बम आदि एकत्र कर रहे हैं, इस पृष्ठभूमि में, अदालत को ए-1, ए-2, ए-4 से ए-6 के मन की बैठक के उद्देश्य को समझना होगा, जिन्होंने वास्तव में इन बैठकों में भाग लिया है, विशेष रूप से पहली बैठक में ए-1, ए-2, ए-4 और ए-6 और अन्य बैठकों में ए-2, ए-4 से ए-6। बेशक, ए-3 ने इन तीन बैठकों में से किसी में भी भाग नहीं लिया है।

ई) अभिलेख पर अन्य सामग्री इस प्रकार मानी गई थीः

" 116. उपरोक्त रिपोर्ट देने के अलावा, वास्तव में, जब्त की गई कुछ किताबें उसे दिखाई गई हैं। एक्स. पी.-76, जिसे "सूरजमुखी नोट बुक" नाम दिया गया है, को सच के रूप में देखने के बाद, बांग्लादेश में प्रकाशित होने वाले सौदी अरबिया के शेख अब्दुल द्वारा हाथ से लिखा गया था। पीडब्लू-65 द्वारा बताए गए उक्त दस्तावेज़ की सामग्री यह है कि

" लोकतंत्र इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है और

सत्ता हासिल करने के लिए मारना अपरिहार्य है।

उन्होंने उक्त पुस्तक में पृष्ठ 16 पर यह भी लिखा है कि "

मुस्लिम समुदाय को बहुसंख्यक समुदायों द्वारा दबा दिया जाता है और

इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को जगाना नहीं है और मुसलमानों को हथियारों के साथ तैयारी नहीं करनी चाहिए। मतलब यह है कि बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। पीडब्लू65 ने आगे कहा है कि उक्त पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, मुसलमान सत्ता हासिल नहीं कर सकते। गवाह ने एक्स. पी.-81, पुस्तक 'तकबीर' को देखकर भी गवाही दी है, जिसमें "भारत नष्ट कर देगा", हाथों में बंदूक लेने और एल. ई. टी. द्वारा काफिरों को नष्ट करने जैसे उद्धरण हैं और 'लश्कर-ए-तैयबा' अच्छी चीजों के लिए लड़ रहा है। पीडब्लू-65 ने एक्स. पी.-64 की 'जादुल मुजाहिद' नामक पुस्तक देखी और उसका सार यह है कि 'पैगंबर ने भारत पर हमला करने के लिए कहा है। इसके अलावा, पीडब्लू-65 ने स्पष्ट किया है कि पैगंबर मोहम्मद ने किसी भी समय ऐसा नहीं कहा है। हालाँकि, उनका कहना है कि वर्णन मोहम्मद इरफान बनाम।

एक्स. पी.-64 में इस तरह का तथ्य उत्तेजक है और यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि एक्स. पी.-89 'मुजाहिद के आजाद' पुस्तक भी उत्तेजक और राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि काफ़िर वे हैं जो इस्लाम के रास्ते से भटकते हैं और एक्स. पी.-81 यह भी कहते हैं कि गैर-मुसलमानों के खिलाफ 'युद्ध छेड़ना'। यह माना जाता है कि कुछ पुस्तकों में 'जिहाद' के बारे में है। इस गवाह ने यह भी कहा है कि उसने जो किताबें दी हैं, उन्हें देखने के बाद उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पूरी किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उसे जो भी सामग्री दिखाई गई है, उसने वास्तव में अदालत को उसी का खुलासा किया है। उपरोक्त को देखने पर कहा गया ऊपर उल्लिखित PWs.50,72,65 और 29 के साक्ष्य और Ex.P92 के साथ, हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि आरोपी व्यक्ति 1,2,4 से 6 भारत के खिलाफ उत्तेजक और खतरनाक गतिविधियों में लिप्त हैं, हालांकि उनके कृत्यों को लागू नहीं किया गया है, फिर भी, उनकी मानसिकता बहुत स्पष्ट कर दी गई है। पीडब्लू-65 एक जिम्मेदार है

व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पुस्तकें थीं ए-2, ए-3 और ए-5 के इशारे पर बरामद की गई पुस्तकों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनमें बहुत खतरनाक लेख और भारत विरोधी पाठ हैं, विशेष रूप से वे पुस्तकें जिन्हें भारतीय देश के विनाश के लिए उकसाया गया था।

एफ) व्यक्तिगत अभियुक्त से की गई बरामदगी के साथ-साथ उसके समझौते पर भी निम्नलिखित रूप में विचार किया गया थाः -

" 120. हम अभियुक्त व्यक्तियों के कहने पर कुछ वस्तुओं की बरामदगी के बारे में पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बेशक, के उदाहरण पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है अभियुक्त नं. 1। हालांकि आरोपी नंबर 1 का स्वैच्छिक बयान Ex.P.262 के अनुसार और Exs.P32 और P39 (मजार) के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने 1 पॉकेट डायरी (MO. 1), एक मोबाइल फोन (MO.10), 1 पासपोर्ट (Ex.P40), फोन नंबर वाली 6 चीट (Exs.P41 से P46) और 4 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें बरामद की हैं।

(Exs.P47 से P49)। वास्तव में ये अनुच्छेद दोषपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अभियुक्त संख्या 1 के साथ इन सामग्रियों का कोई संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं है।

बरामद की गई इन सामग्रियों में आरोपी नंबर 1 का मोबाइल फोन भी शामिल है।

121. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि ए-2 से Exs.P.129 और पी. 69 के तहत पुलिस ने 1 मोबाइल फोन (MO.17), रीबुक (MO.18), एक छोटी डायरी (Ex.P130), डी. एल. (Ex.P131), एस. टी. डी. बिल [2022] 10 एस. सी. आर. बरामद किया है।

(Ex.P.132), विज़िटिंग कार्ड (Ex.P133) और फोन नंबर के साथ एक बिल। (Ex.P134) और एक अक्षर शीर्ष (Ex.P70), 1 डाक कवर (Ex.P71), पत्र (Ex.P72), 1 पासपोर्ट (Ex.P.73), 1 शपथ पत्र (Ex.P74)। जाँच अधिकारी के अनुसार, उन्होंने नहीं किया है

अपराध में, इसलिए, वे चर्चा के लिए भी प्रासंगिक नहीं हैं। हालांकि, ए-2 का स्वैच्छिक बयान ExP.273 के तहत दर्ज किया गया था। और ए-2 के उदाहरण पर 21.02.2016 Mos.2 से 9 तक बरामद किए गए, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, ये लेख दोषपूर्ण हैं और वास्तव में ये खतरनाक लेख हैं यानी इलेक्ट्रिकल।

डेटोनेटर, जिलेटिन स्टिक्स, 114 धातु के छर्रों और 3 हथगोले और अन्य सामान। हालांकि एक्स. पी. 105 के तहत कुछ किताबें बरामद की गई हैं, लेकिन हमने उन किताबों के जुड़ाव पर चर्चा की है

पूर्वनिर्दिष्ट अनुच्छेद में पहले से ही अपराध के साथ। 122. ए-3 से, एक मजार (Ex.P.15) के तहत उनके स्वैच्छिक बयान (Ex.P.272) के आधार पर, फोन नंबर वाले कुछ चिट्स,

छोटी टेलीफोन डायरी, कूरियर रसीदें, खातों की छोटी चिट, तीन तस्वीरें बरामद की गईं, जो Exs.P.51 पर चिह्नित हैं। पृ. 59)। ये भी दोषपूर्ण नहीं हैं और इन लेखों से कोई संपर्क स्थापित नहीं होता है। हालाँकि, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से 10 जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर भी बरामद किए हैं, जो अपराध साबित कर रहे हैं और यह बिना किसी स्पष्टीकरण के चला गया। Ex.P62 के तहत, Ex.P63 के अनुसार एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया था; A-3 से कुछ किताबें भी बरामद की गई हैं।

Ex.P68, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

123. ए-4 से, Ex.P112 के तहत, पुलिस अधिकारी ने एक रिलायंस नोट बुक, फोन नंबर के साथ कागज, विजिटिंग कार्ड और एक चमड़े का पर्स बरामद किया है, जिसे MO.56 के तहत Exs.P113 से P.116 के रूप में चिह्नित किया गया है। जाँच अधिकारी के अनुसार, ये चीजें भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं हैं और कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया है। हालाँकि, Ex.P169 के तहत, स्वैच्छिक बयान (Ex.P.275) के आधार पर, जांच अधिकारी ने इस आरोपी से एक टिन बम बरामद किया है और Ex.P.152 के तहत कुछ किताबें भी बरामद की हैं जो अपराध साबित कर रही हैं और Ex.P167 पर 'जिहाद' के संबंध में ए 4 और ए-6 से भी बरामद की गई हैं, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

124. ए-5 से, जैसा कि हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, उसके स्वैच्छिक बयान (Ex.274) के आधार पर, पुलिस के पास मोहम्मद इरफान बनाम है।

स्थापित किया गया। इसलिए, ए-5 से मजार (Ex.P75) के तहत एक नोटबुक (Ex.P276) को छोड़कर कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई है। 125. ए-6 से एक छोटी डायरी बरामद की गई और Ex.160 (मजार) के तहत कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है, यानी 1 छोटा टिन बम, तारों के साथ 1 टिफिन बॉक्स बम, 2 विद्युत डेटोनेटर, 2 तार और MO.23 पर चिह्नित देशी रिवॉल्वर और मजार के नीचे जीवित गोलियां (<आईडी4 और 25) भी बरामद की गई हैं, जिन्हें Ex.P56 से पी166 पर चिह्नित किया गया है। बमों को छोड़कर,

इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर्स की कनेक्टिविटी, अन्य सामग्री बरामद की गई

और एक पासपोर्ट (Ex.P.146), पार की गई बंदूकों की तस्वीर के साथ उर्दू में एक किताब (Ex.P.147) और एक छोटी डायरी भी बरामद की। (Ex.P.148) और Exs.P.149 से P.151) पर चिह्नित 07 कागज के टुकड़े।

***

***

***

130. Cr.PC की धारा 313 के तहत दर्ज इन अभियुक्त व्यक्तियों के बयानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, पर्याप्त नहीं है।

उनके द्वारा स्वीकार्य स्पष्टीकरण कि उनके पास ये निषिद्ध वस्तुएँ क्यों थीं, जो नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त हैं। बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति के लिए, यदि वे विस्फोट करते हैं। इन सभी लेखों को रखने का कारण भी नहीं बताया गया है। अभियुक्त के विद्वान वकील के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। अगर वे वास्तव में कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, तो उन्हें इस तरह की खतरनाक वस्तुओं को अपने साथ क्यों रखना पड़ता है। जब अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है

उक्त आपत्तिजनक वस्तुओं को अपने पास रखने के लिए, तब यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त वस्तुओं को उनके द्वारा कुछ अवैध कार्य करने के उद्देश्य से रखा गया था। षड्यंत्र, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

131. उपरोक्त वस्तुओं की वसूली का रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों के साथ परीक्षण किया जाना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इन लेखों का उस साजिश से कुछ संबंध है जो [2022] 10 एस. सी. आर. थी।

इनमें से कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के बीच हुआ। बेशक,

यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि ए-3 और ए-7 ने किसी भी तरह से साजिश में भाग लिया, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कह सकते हैं कि Ex.P92 दिनांकित 10.12.2003,19.08.2005 और 18.12.2005 में, अभियुक्त व्यक्ति, जिनके पास है

इन बैठकों में भाग लिया, बाबरी मस्जिद के विध्वंस और गुजरात में मोहम्मदों की हत्या का बदला लेने की शपथ ली। उन्होंने प्रशिक्षण लेकर 'जिहाद' के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि उनके पास बम, बंदूकें और अन्य चीजें होनी चाहिए और जब भी उनके वरिष्ठों द्वारा निर्देश दिया जाए तो उनका उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से आईडी1 पर आयोजित बैठक में अभियुक्त व्यक्तियों ने उन व्यक्तियों के खिलाफ 'जिहाद' की घोषणा के संबंध में भी चर्चा की थी, जिन्हें इस्लाम में कोई विश्वास नहीं है और उन्होंने बम, राइफल, एके-47 आदि रखने का भी फैसला किया है।

जी) अपराध स्थापित होने के बारे में विचार करने के लिए अभिलेख पर सामग्री की जांच की गई। प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार थीः

" 141. जहां तक इन अपराधों का संबंध है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को लागू करना, स्वीकार है कि जांच अधिकारी

उसके साक्ष्य ने क्रूस के दौरान स्वीकार किया है

जाँच कि अभियुक्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक बयान को छोड़कर जिसमें कहा गया है कि वे एक संघ के लिए काम कर रहे हैं जो है

यू. एल. एफ. अर्थात एल. ई. टी. के रूप में घोषित और ए-1 उक्त यू. एल. एफ. संगठन से संबंधित दक्षिण भारत के लिए नेता के रूप में काम कर रहा है। वह भी।

उन्होंने स्वीकार किया कि अदालत के समक्ष कोई अन्य सामग्री नहीं है और उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री एकत्र नहीं की है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति या तो सदस्य हैं या उन्होंने ऐसे संघ की बैठक में कोई भाग लिया है या इसके लिए कोई योगदान दिया है या कोई योगदान प्राप्त किया है। ऐसे संघ का उद्देश्य या किसी भी तरह से उक्त संघ की सहायता करना। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें अपने मुखबिरों से कुछ तथ्यात्मक जानकारी मिली है कि आरोपी व्यक्ति हैं

एल. ई. टी. से जुड़ा हुआ, जो एक गैरकानूनी प्रतिबंधित संगठन है।

मान लीजिए, अभियुक्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक बयान पर अदालत द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता है जो अभियुक्त को दोषी ठहराती है, क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित है। द. अभियोजन पक्ष को उक्त आरोपों को स्वतंत्र रूप से साबित करना होगा। किसी भी गवाह ने किसी भी आरोपी व्यक्ति के भाग लेने या करने, वकालत करने, उकसाने के बारे में कुछ भी गवाही नहीं दी है।

मोहम्मद इरफान बनाम के अनुसार किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए उकसाना।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत प्रावधान। हालांकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मंजूरी

उक्त अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त,

लेकिन अदालत के समक्ष रखा गया सबूत स्थापित नहीं करता है

इनमें से कोई भी

अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत उक्त अपराध। इसलिए, हमें उक्त अधिनियम की धारा-10,11 और 13 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को बरी करने के संबंध में निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। इसलिए, इस न्यायालय को कार्यवाही में किसी भी पक्ष द्वारा उद्धृत निर्णयों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

***

***

***

145. अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन पर, अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू के साक्ष्य पर भरोसा किया है। 1 8 और 13 तक तो

जहाँ तक उक्त प्रावधानों को साबित करने की बात है कि ये अभियुक्त व्यक्ति विशेष रूप से ए-2 और ए-6 अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए पीडब्ल्यू को शामिल करना चाहते थे। 1 8 और 3 को उनके हाथों को जोड़ने के उद्देश्य से शांति को नष्ट करना और समाज में गैरकानूनी वैमनस्य पैदा करना आदि। लेकिन, जैसा कि हमने चर्चा की है, उपरोक्त गवाह अभियोजन पक्ष के मामले के प्रति पूरी तरह से प्रतिकूल हो गए हैं और उन्होंने कभी भी अभियुक्तों के बीच रची गई साजिश के बारे में कुछ नहीं कहा है, न ही उन्होंने कहा है कि ए-2 और ए-6 ने उन्हें इस तरह से उकसाया है जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रतिकूल है या

विभिन्न जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास आदि के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का प्रयास। इस तरह भी विद्वान सत्र न्यायाधीश की राय से हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम यह कहकर फैसले की पुष्टि करते हैं

कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त और कथित कार्यालयों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आई. पी. सी. की धारा-153-ए और 153-बी के तत्वों को साबित करने में भी विफल रहा है। अतः धारा-153-ए के तहत उक्त अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को बरी किया जाना।

और आई. पी. सी. की धारा 153-बी भी इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के योग्य नहीं है।

***

***

***

148. जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों से देखा जा सकता है, धारा 121-ए के तहत, धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश अपने आप में या [2022] 10 एस. सी. आर. के अनुसरण में किसी भी गतिविधि के लिए दंडनीय है।

यहां तक कि केवल युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने की साजिश, धारा 121 के तहत दंडनीय है और यदि साजिश सरकार को भयभीत करने के लिए, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा जो 10 साल तक बढ़ सकता है और जुर्माना।

149. धारा 120-बी में कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत होते हैं

किसी भी अवैध कार्य या कार्य को करने के लिए जो अवैध साधनों से नहीं है, ऐसे समझौते को आपराधिक साजिश नामित किया जाता है और यदि ऐसा कोई है अपराध करने की साजिश रचने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होती है। फिर ऐसे व्यक्ति दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय होते हैं।

150. अतः धारा 120-बी को आकर्षित करने के लिए उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या दो से अधिक है और उनके पास है -

एक समझौता किया जाता है और वह समझौता एक अवैध कार्य करने या अवैध माध्यमों से एक कार्य करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और ऐसे अवैध कार्य आईपीसी और अन्य कानूनों के प्रावधानों के तहत अपराध करने के बराबर होते हैं। जहाँ तक धारा 121 है

आई. पी. सी. का संबंध है, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त व्यक्तियों ने वास्तव में सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है या

151. उपरोक्त प्रावधानों से, यह बहुत स्पष्ट है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस साजिश पर भरोसा किया गया है, वह इसके संदर्भ में है - आई. पी. सी. की धारा 121, तब उक्त साजिश धारा 121-ए के तहत विशेष रूप से और विशेष रूप से दंडनीय है। इसके तहत

परिस्थितियों में आई. पी. सी. की धारा 120-ए और 120-बी लागू नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह दोहरी सजा देने के बराबर है। इसलिए, हमारी राय है कि धारा 120 बी के तहत दोषसिद्धि और सजा स्थायी नहीं है।

152. यह बहुत स्पष्ट है कि, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस साजिश पर भरोसा किया गया है, वह आई. पी. सी. की धारा 121 के संदर्भ में है, तो उक्त साजिश विशेष रूप से और विशेष रूप से धारा मोहम्मद इरफान बनाम के तहत दंडनीय है।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

121 आई. पी. सी. की धारा 121-ए के तहत उक्त साजिश विशेष रूप से और विशेष रूप से दंडनीय है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में,

धारा 120-ए और 120-बी को लागू नहीं किया जा सकता है।

ज) राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद (एन. सी. टी. v. नवजोत संधू @अफसान गुरु "और नजीर खान & Ors.¹0, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आई. पी. सी. की धारा 121 के तत्व तत्काल मामले में अनुपस्थित हैं लेकिन पी. सी. की धारा 121-ए के प्रावधानों को आकर्षित किया गया था। यह देखा गयाः

160. जैसा कि हमने यह भी देखा है कि कुछ पुस्तकें जो अभियुक्त व्यक्तियों की हिरासत से जब्त की गई थीं, वे भी यह खुलासा करता है कि उन पुस्तकों को अभियुक्त व्यक्तियों को Ex.P92 के तहत ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए राजी किया गया होगा। वे किताबें

इसमें राष्ट्र-विरोधी पाठ शामिल थे जो कहते हैं कि भारत को नष्ट कर दिया जाएगा और मुसलमानों को बंदूकें उठानी चाहिए और भारत के खिलाफ लड़ना चाहिए, आदि। इसलिए अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी सामग्री को रिकॉर्ड पर जोड़ना होगा कि ऐसी बैठकें आयोजित करने में आरोपी व्यक्तियों का वास्तव में क्या इरादा था। हालांकि हमारी राय है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई गतिविधि नहीं हुई है।

उनकी साजिश के अनुरूप और कोई भारी नहीं है

देश को किसी भी नुकसान या नुकसान की मात्रा, फिर भी उनका मुख्य इरादा लोगों और देश को भारी नुकसान पहुंचाना है। हम अभियुक्तों के इस इरादे और मानसिकता को समझने में सक्षम हैं और साथ ही वे एक साथ जुड़ते हैं और इस तरह के इरादे को अंजाम देने की साजिश करते हैं। हमारी राय में, उनकी मंशा और मानसिकता धारा 121 के तहत प्रावधान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि आई. पी. सी. की धारा 121 के तहत नहीं।

161. हम यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि कुछ अभियुक्त

ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों ने आगे बढ़कर संग्रह किया है।

इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर, जिलेटिन की छड़ें और बम। इस आचरण से पता चलता है कि उन्होंने द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया है

5) 11 एससीसी 600।

वे, धीरे-धीरे और उस उद्देश्य के लिए केवल नष्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया

भारत। लेकिन वे साजिश के शुरुआती चरण में पकड़े गए थे जब वे योजना बना रहे थे कि अपने फैसले को कैसे निष्पादित किया जाए। अदालतों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उस समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक कि अभियुक्त व्यक्तियों को इतनी सारी सामग्री एकत्र करने की अनुमति न दी जाए और केवल देश, देशवासियों और देशवासियों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के बाद ही कार्रवाई करें। हमारी ईमानदार और ईमानदार राय में, इस तरह की गतिविधियों को साजिश के स्तर पर भी शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा, यह अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकता है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि निचली अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने में कोई गलती नहीं की है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को धारा 121-ए के तहत आजीवन कारावास की सजा देने के बजाय, अनजाने में आई. पी. सी. की धारा 120-बी को गलत धारणा से लागू किया गया, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।

I) अंत में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित परिचालन आदेश थाः

" A1, A2 और A4 द्वारा A6 को Crl.A.No 220/2012 में दायर की गई अपील और राज्य द्वारा Crl.A.No 530/2012 में दायर की गई अपील और

अभियुक्त सं. 3 द्वारा Crl.A.No.1123/2013 में दायर की गई अपील की आंशिक रूप से अनुमति है। राज्य द्वारा दायर अपील

Crl.A.No.531/2012 को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को संशोधित किया जाता है। नतीजतन,

(i) ए-1, ए-2 और ए-4 से ए-6 को आई. पी. सी. की धारा 121-ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। निचली अदालत द्वारा पारित सजा

बढ़ा दिया जाता है, अभियुक्त को कठोर कारावास से गुजरना होगा

आई. पी. सी. की धारा 121-ए के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना देना और चूक में एस. आई. से गुजरना।

एक वर्ष। (दोषसिद्धि के विवादित निर्णय की पुष्टि की जाती है

उस सीमा और वाक्य को बढ़ाया जाता है)। हालांकि, अल से ए 6

धारा 121 और 120 बी के तहत आरोप से बरी कर दिए जाते हैं।

आईपीसी. अभियुक्त संख्या 3 को भी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

आई. पी. सी. की धारा 121 ए (उस हद तक दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया है)।

((ii) ए 2, ए 3, ए 4 और ए 6 को एस. आई. से गुजरने की सजा दी जाती है।

7 वर्षों के लिए और 5,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और चूक करने पर मोहम्मद इरफान बनाम की धारा 5 के तहत अपराधों के लिए 1 वर्ष के लिए एस. आई. से गुजरना होगा।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। (उस हद तक विवादित

निर्णय की पुष्टि की जाती है)। हालाँकि, अभियुक्त संख्या 1 और 5 को उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है। (उस हद तक विवादित दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है)।

(iii) अभियुक्त संख्या 6 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 5 साल की अवधि के लिए एस. आई. से गुजरने की सजा सुनाई जाती है और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए एक साल के लिए एस. आई. से गुजरने के लिए Rs.5000/- का जुर्माना देना होगा। अधिनियम की धारा 26 के तहत अपराध के लिए उसे 3 साल के लिए एस. आई. से गुजरने की सजा भी सुनाई गई है। (उस हद तक, विवादित दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है)। हालाँकि ए 2,3 और 4 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया जाता है। (उस हद तक दोषसिद्धि का निर्णय और

वाक्य निर्धारित किया गया है-एक तरफ)।

((iv) विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त सं. 7 से संबंधित अब तक पारित दोषमुक्ति के निर्णय को बाधित नहीं किया गया है (पुष्टि)।

v) कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बंद करें।

कारावास की अवधि के लिए जो पहले से ही गुजर चुका है

प्रक्रिया संहिता। vi) जैसा कि हमने पाया कि A3 पहले ही अवधि से गुजर चुका है

उस पर अधिरोपित कारावास, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा,

यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है। (vii) रजिस्ट्री को इसके लिए निर्देश दिया जाता है कि वह निर्णय के संचालन भाग को संबंधित जेल अधिकारियों को सूचित करे।

उचित कार्रवाई "।

4. उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होने के कारण, अभियुक्त संख्या द्वारा तत्काल विशेष अवकाश को प्राथमिकता दी गई है। 5 , 6 , 1 इनमें ऊपर कहा गया है कि न तो ए-2 द्वारा उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली कोई अपील दायर की गई है और न ही उनके द्वारा कोई चुनौती दी गई है।

उसकी अपीलों को खारिज करने के खिलाफ।

इस प्रकार इन अपीलों का दायरा अभियुक्त संख्या को चुनौती देने तक ही सीमित है। 5 , 6 , 1 और 45. ए-5, ए-6 और ए-1 द्वारा पसंद की गई विशेष अनुमति याचिकाएं, उत्तराधिकारी की अपीलों से उत्पन्न होती हैं, जो 21.10.2016 पर आई थीं, जब नोटिस दिया गया था।

यह न्यायालय अधिरोपित किए जाने वाले दंडादेश के प्रश्न तक सीमित [2022] 10 एस. सी. आर.

उन पर। इसके बाद ए-1 द्वारा 28.11.2016 पर शपथ लिया गया एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था कि जब अपराध किया गया था तब वह 21 वर्ष का था और अगर सजा काटने पर जेल से रिहा किया जाता है, तो वह इसका समर्थन करेगा।

साथी देशवासियों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना ईमानदारी से जीवन यापन करके उनका परिवार। इसी तरह के हलफनामे अन्य अभियुक्तों द्वारा दायर किए गए थे। बाद में,

सभी चार अभियुक्तों की विशेष अनुमति याचिकाएँ 28.04.2017 पर सामने आईं, जब अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से एक रिपोर्ट माँगी। इसके बाद, दिनांक 31.1.2018 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई, जिससे इन अपीलों का पंजीकरण हुआ।

21.10.2016 मामलों का दायरा अभियुक्त को दी जाने वाली सजा के मुद्दे तक सीमित होने के कारण, दोषसिद्धि के संबंध में प्रस्तुतियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त द्वारा दायर हलफनामों पर भरोसा करते हुए, जिसके कारण दिनांक 28.04.2017 का आदेश पारित हुआ, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त भी मामले के दायरे को समझता था। सजा की मात्रा तक सीमित होना। जवाब में, योमेशभाई प्रांशंकर भट्ट बनाम में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर अभियुक्त के विद्वान वकील द्वारा भरोसा रखा गया था। गुजरात राज्य को यह प्रस्तुत करना है कि यह पूरी तरह से इस न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वह गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करे और किसी भी तरह से प्रस्तुतियों को प्रतिबंधित न करे। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 4 और 8 इस प्रकार हैं:

" 4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि हालाँकि नोटिस जारी करने के समय, इस न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304 की सीमा के भीतर ही मुद्दे उठाने के अपने अधिकारों को सीमित कर दिया था, लेकिन न्यायालय अंतिम सुनवाई के समय नोटिस जारी करते समय दिए गए उस निर्देश से बाध्य नहीं है और अपीलार्थी को यह आग्रह करने के अपने अधिकार सहित सभी प्रश्नों का आग्रह करने का अधिकार है कि उसे

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बरी।

12 (2011) 6 एस. सी. सी. 312 मोहम्मद इरफान बनाम।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

8. संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधान हैं -

इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में व्याख्या की गई। हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, यह न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है और ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अतः यह स्पष्ट है कि न्यायालय अंततः मामले की सुनवाई करते हुए और मामले के न्याय पर विचार करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिनकी मामले का न्याय माँग करता है। और ऐसा करने में, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई बाधा नहीं लगाई जाती है, सिवाय इसके कि निश्चित रूप से इसके विपरीत कानून के किसी भी स्पष्ट प्रावधान के, और आम तौर पर यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। याचिका स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कानून के स्पष्ट प्रावधान का दर्जा नहीं होता है। नोटिस जारी करके याचिका पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी अस्थायी टिप्पणी होती है। वे टिप्पणियां या आदेश अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकते हैं।

अपील के लिए विशेष अनुमति देते समय टोपी सहित रिकॉर्ड पर तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामला नहीं थासजा के प्रश्न के संबंध में, हम अपीलार्थियों की ओर से योग्यता के आधार पर अग्रिम दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बल्कि मामले के दायरे को सजा के मुद्दे तक सीमित करते हैं।

28. यह अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत किया गया थाः अ)

अभियोजन पक्ष के गवाह अर्थात् पीडब्लू 1 से 8 असफल रहे हैं।

अभियोजन के मामले का समर्थन करने के लिए, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित किए गए थे। इसके अलावा, सभी संबंधित अभियुक्तों के इकबालिया बयान भी अदालतों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे

नीचे।

धारा 121,153 ए के तहत मूल शुल्क एक

ख)

और आई. पी. सी. का 153 बी स्थापित नहीं होने के कारण, आई. पी. सी. की धारा 121 ए के तहत एकमात्र स्थायी आरोप था।

जो किसी भी पदार्थ से रहित था।

विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी, डायरी Exh.P-92 और

(ग)

अन्य सामग्री, अपने आप में बनाए रखने के लिए अपर्याप्त थी

आई. पी. सी. की धारा 121 ए के तहत आरोप।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 120 ख (1) और धारा 115 के प्रावधानों को पढ़ना।

(घ)

आई. पी. सी. के तहत, जहां धारा 121 के तहत मूल अपराध नहीं किया गया था, सजा सात से अधिक नहीं हो सकती थी।

वर्षों से।

ई)

मामले की किसी भी घटना में, निचली अदालत ने फैसला सुनाया है आई. पी. सी. की धारा 121 ए के तहत सात साल के लिए कारावास की ठोस सजा, सजा की मात्रा को आजीवन कारावास में बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। तथ्य.

अभिलेख पर इस तरह के अभ्यास को उचित नहीं ठहराया गया;

ए-1 की एकमात्र भागीदारी यह थी कि उसके पास था

च)

न्यास की पहली बैठक में भाग लिया, जिसकी सबसे अच्छी पुष्टि हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य के माध्यम से की जाएगी। हालांकि, जांच अधिकारी द्वारा दी गई इस स्वीकारोक्ति के आलोक में कि ए-1 कन्नड़ भाषा नहीं समझता था, कन्नड़ में पाठ के नीचे हस्ताक्षर नहीं होगा।

किसी अन्य की अनुपस्थिति में ए-1 को किसी भी तरह से उत्तरदायी बनाना।

ठोस साक्ष्य या सामग्री।

किसी भी गवाह ने अदालत में ए-1 की पहचान नहीं की थी और न ही

जी)

एक्सएच-पी92 (सी) का पाठ और न ही अभियोजन पक्ष का मामला कि ए-1 ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, संहिता की धारा 313 के तहत उनकी जाँच में रखा गया था।

ज)

आरोपित। किसी भी मामले में, पहली बैठक में आयोजित किया गया था

(i)

वर्ष 2003, जबकि तत्काल मामले में वसूली

वे वर्ष 2006 के हैं। संहिता की धारा 196 के संदर्भ में, मुकदमा चलाने की मंजूरी

जे)

आई. पी. सी. के अध्याय VI के तहत अन्य बातों के साथ दंडनीय अपराध करने के लिए अभियुक्त अनिवार्य था और अभिलेख पर रखी गई मंजूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी।

29. यह राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया थाः क) अभिलेख पर सामग्री, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में

विस्फोटक पदार्थों के साथ-साथ साहित्य और किताबें

दंड प्रक्रिया, 1973 के मोहम्मद इरफ़ान बनाम।

संबंधित अभियुक्त के कहने पर बरामद किया गया

किसी भी संदेह से परे मामला।

ख)

डायरी Exh.P-92 ने बहुत स्पष्ट रूप से इरादे को स्थापित किया

अभियुक्त जो एकत्र हुए थे, जिन्होंने बैठकें कीं और संबंधित के नीचे अपने हस्ताक्षर किए थे

संकल्प लें।

हस्ताक्षरों की पहचान हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा की गई थी, जो,

(ग)

कारणों के साथ अपने निष्कर्षों का विधिवत समर्थन किया। ए-1 की गतिविधियाँ, जो स्थानीय व्यक्ति नहीं थे

(घ)

उस समय के आसपास जब बैठकें हुई थीं, शहर ने सबूतों की पुष्टि और समर्थन किया

उसकी भागीदारी के बारे में।

बरामद विस्फोटक की बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए

ई)

पुस्तकों, साहित्य और डायरी Exh.P-92 सहित पदार्थ और अन्य सामग्री को निश्चित रूप से सजा बढ़ाने के लिए बनाया गया था।

संहिता की धारा 196 के तहत दी गई मंजूरी थी

च)

उचित रूप से वैध माना गया और किसी पर कोई दुर्बलता नहीं थी

गिनती करें।

30. शुरुआत में, संहिता की धारा 196 के तहत दी गई मंजूरी की शुद्धता और वैधता के बारे में प्रस्तुतियों पर विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 34 और 35 में दर्ज तथ्यों से पता चलता है कि इस मामले पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा विचार किया गया था और सामान्य रूप से रखे गए प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी।

जिसके बाद, संचार को अवर सचिव द्वारा संबोधित किया गया था। इन तथ्यों के बावजूद, इस दलील को खारिज किया जाना चाहिए कि मंजूरी सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई थी। के अनुरूप

निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दिए गए निष्कर्षों के अनुसार, हम मानते हैं कि संहिता की धारा 196 के संदर्भ में मंजूरी वैध और उचित थी।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दी गई मंजूरी के मामले पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया था और इसके निर्णय के पैराग्राफ 37 में आए निष्कर्ष में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

31. मामले के गुण-दोष की ओर देखते हुए, अभिलेख पर साक्ष्य को मुख्य रूप से निम्नलिखित खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क) अभियोजन पक्ष के गवाह की मौखिक गवाही सं। 1 8 और 13 तक।

ख) वसूली के संबंध में साक्ष्य i) यह सच है कि अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या। 1 8 और 13 ने शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया और अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। हालाँकि, उनकी गवाही से यह पता चलता है कि उनमें से कुछ न्यास के न्यासी थे, जिनकी कार्यवृत्त पुस्तिका Exh.P-92 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई थी। गवाहों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि न्यास की बैठकें हुई थीं और कुछ अभियुक्त बैठकों में शामिल हुए थे। पी. डब्ल्यू. 4-फिरोज ने ए-1 सहित विभिन्न अभियुक्तों द्वारा बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी के बारे में विवरण दिया और इस तथ्य के लिए गवाही दी कि गवाह ने ए-1 को अपनी बाइक पर रेलवे स्टेशन पर गिरा दिया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि इन गवाहों ने अभियोजन मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, लेकिन अभियोजन मामले की कुछ विशेषताओं की पुष्टि इन गवाहों की गवाही के माध्यम से की गई थी। इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट है कि भले ही किसी गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया जाता है, ऐसे गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण यह है कि इसे उस हद तक स्वीकार किया जाए जब तक कि उसका संस्करण उसकी सावधानीपूर्वक जांच पर निर्भर हो।

(ii) पुस्तकों और साहित्य की बरामदगी का पूरी तरह से संबंधित पंच गवाहों द्वारा समर्थन किया गया था और

अभिलेख पर पंचनामा। किताबों और साहित्य में भड़काऊ सामग्री और संदेश थे। उर्दू में मूल संस्करणों के अनुवादों को अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया था। स्वैच्छिक विवरण जिनके कारण इस तरह की वसूली हुई और

अभियोजन पक्ष द्वारा स्वयं वसूली भी साबित की गई थी।

इस प्रकार यह स्थापित हो गया कि अभियुक्त उस इरादे के साथ इकट्ठा हुआ था जैसा कि घटना के कार्यवृत्त से पता चला था। न्यास की बैठकें।

इयुनियप्पन और ओआरएस। बनाम तमिलनाडु राज्य-- (2010) 9 एस. सी. सी. 567; राधा मोहन सिंह और अन्य। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य-(2006) 2 एस. सी. सी. 450।

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

विस्फोटक पदार्थ, जिनका विवरण यहाँ ऊपर दिया गया है, ए-2, ए-3, ए-4 और ए-6 से बरामद किए गए थे। उक्त अभियुक्त के स्वैच्छिक बयान और परिणामी बरामदगी

पंचों के माध्यम से प्रभावित भी विधिवत साबित हुए थे

अभियोजन। 32. इससे पहले कि हम इस सवाल की ओर मुड़ें कि क्या कटौती या

उपयोग, अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लाल सिंह बनाम में न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर पहुँचा गया था। गुजरात राज्य और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े संदर्भ में अन्य 1.5 जहां हथियार और गोला-बारूद आरोपी के कहने पर या उसके द्वारा खुलासा किए जाने पर बरामद किए गए थे,

1. इस न्यायालय ने यह टिप्पणी कीः

" 84. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुशील कुमार ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उन सभी संबंधों को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है जिन पर वह भरोसा करता है। हमारे विचार में, यह कहना कि अभियोजन पक्ष को मामले को सौ प्रतिशत निश्चितता के साथ साबित करना है, एक मिथक है। पिछले कई वर्षों से देश भारी तनाव और तनाव का सामना कर रहा है।

गुमराह आतंकवादियों और आतंकवाद के प्रति सहयोग, जिसने सामाजिक सुरक्षा, शांति और स्थिरता को प्रभावित किया है। यह आम है।

यह जानते हुए कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अत्यंत गोपनीयता के साथ अंजाम दिया जाता है। इस तरह की गतिविधियों से संबंधित कई तथ्य व्यक्तिगत हैं। संबंधित व्यक्ति का ज्ञान। इसलिए, साजिश के मामले में

और विशेष रूप से ऐसी गतिविधियाँ, अधिनियमों की तुलना में बेहतर साक्ष्य और

के अनुसरण में सह-साजिशकर्ताओं सहित बयान

षड्यंत्र शायद ही उपलब्ध हो। ऐसे मामलों में, जब

इकबालिया बयान अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक नहीं है

प्रत्येक कड़ी को इकबालिया बयान के रूप में स्थापित करें उस कड़ी से पुष्टि जो अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की जाती है। में।

किसी भी मामले में, कानून इस तरह की एक डिग्री की स्थापना की आवश्यकता है

सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम में न्यायालय। डी. भूरमल [(1974) 2 एस. सी. सी. 544: 1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 784] तस्करी गतिविधियों से निपटने और समुद्री सीमा शुल्क की धारा 167 के तहत दंड की कार्यवाही

अधिनियम, 1878 में कहा गया है कि अवैध व्यवसाय से संबंधित कई तथ्य संबंधित व्यक्ति के विशेष या विशिष्ट ज्ञान में रहते हैं।

और इस प्रकार आयोजित किया गयाः (एससीसी पीपी। 553-55 , पैरा 30-32 और 37)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट " 30. ..... कि अभियोजन पक्ष या विभाग को अपने मामले को गणितीय सटीकता के साथ एक प्रदर्शन योग्य डिग्री तक साबित करने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि, सभी मानवीय मामलों में पूर्ण निश्चितता एक मिथक है, और प्रो। ब्रेट सम्मानपूर्वक कहते हैं-'सभी सटीकता एक है।

नकली '। पूर्ण प्रमाण के अप्राप्य होने के कारण, कानून इस काम में एक कार्यशील विकल्प के रूप में इसकी संभावना को स्वीकार करता है।

ए-डे वर्ल्ड। कानून अभियोजन पक्ष को असंभव साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता है। इसके लिए केवल इतनी संभावना की स्थापना की आवश्यकता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, इसके आधार पर, मुद्दे में तथ्य के अस्तित्व में विश्वास कर सके। इस प्रकार, कानूनी प्रमाण है

आवश्यक रूप से पूर्ण प्रमाण नहीं; अक्सर यह मामले की संभावनाओं के बारे में एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं है।

31. सबूत के बोझ की घटना पर एक महत्वपूर्ण असर डालने वाला दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह है कि शब्दों का उपयोग करने के लिए सबूत की पर्याप्तता और वजन पर विचार किया जाना चाहिए। ब्लैच वी में लॉर्ड मैन्सफ़ाइड का। आर्चर [(1774) 1 काउप 63: 98

ई. आर. 969] (पी. पर काउप। 65) 'उस प्रमाण के अनुसार जिसे साबित करना एक पक्ष की शक्ति में था, और दूसरे की शक्ति में विरोध करना'।

*

32. तस्करी कानूनी कर्तव्यों से बचने के लिए गुप्त रूप से माल की ढुलाई है। गोपनीयता और गुप्तता इसके आवरण रक्षक होने के कारण, निवारक विभाग के लिए प्रक्रिया के हर लिंक को उजागर करना असंभव है। इस अवैध व्यवसाय से संबंधित कई तथ्य व्यक्तियों के विशेष या विशिष्ट ज्ञान में बने हुए हैं। उस में चिंतित। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसकी विशेष या विशिष्ट जानकारी अभियोजन पक्ष या विभाग को उस तथ्य के संबंध में कुछ सबूत पेश करने के बोझ से पूरी तरह से मुक्त कर देगी। यह केवल उस बोझ को कम करेगा, जिसका निर्वहन करने के लिए, बहुत कम सबूत पर्याप्त हो सकते हैं।

*

37. ' सबूतों को तौलने और उससे निष्कर्ष निकालने के लिए, आर. वी. में जे. बिर्च ने कहा। मधुब चंदर [(1873) 21 डब्ल्यू. आर. करोड़ 13] (पी. 19) 'कोई कैनन नहीं हो सकता। प्रत्येक मामला अपनी विशिष्टताओं और प्रत्येक सामान्य ज्ञान और चतुराई को प्रस्तुत करता है। सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

***

***

*** मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

87. उस मामले में, न्यायालय ने निम्नलिखित का भी उल्लेख कियाः मिलर बनाम में अवलोकन। पेंशन मंत्री [(1947) 2 सभी ईआर

372 : 177 एल. टी. 536] लॉर्ड डेनिंग, जे.

संभावना का एक उच्च स्तर होना चाहिए। सबूत से परे। उचित संदेह का अर्थ यह नहीं है कि इसकी छाया से परे सबूत

एक संदेह। कानून समुदाय की रक्षा करने में विफल रहेगा यदि यह

न्याय के मार्ग को भटकाने के लिए काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार किया। यदि सबूत एक आदमी के खिलाफ इतना मजबूत है कि केवल एक छोड़ देता है

उसके पक्ष में दूरस्थ संभावना जिसे खारिज किया जा सकता है

वाक्य निश्चित रूप से यह संभव है, लेकिन कम से कम नहीं संभवतः, 'मामला उचित संदेह से परे साबित हुआ है'।

88. यह सच है कि आपराधिक मामलों में हमारे मौजूदा न्यायशास्त्र के तहत,

हमें निर्दोषता के अनुमान के साथ आगे बढ़ना होगा, लेकिन

उसी समय, उस धारणा का निर्णय इसके आधार पर किया जाना है

एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति की अवधारणाएँ। सन्देह की गंध

संदेह का लाभ देना देश का कानून नहीं है। ऐसे में

यदि हथियार और गोला-बारूद बरामद किए जाते हैं तो आतंकवादी गतिविधियों का प्रकार अभियुक्त के कहने पर या उसके द्वारा खुलासा किए जाने पर, यह कहा जा सकता है

वसूली और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा जो हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति के सामान्य ज्ञान के तराजू पर सराहना की जाए

"भूसी को अनाज से अलग करने" की क्षमता रखना। ऐसे में

मामले, जैसा कि लॉर्ड डेनिंग, जे. द्वारा कहा गया है, कानून की रक्षा करने में विफल रहेगा

समुदाय यदि यह पाठ्यक्रम को भटकाने की काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार करता है

न्याय की। यदि यह अभिलेख पर स्थापित है कि ए-20 में पाया गया था

ए-1 और ए-2 की कंपनी अलीगढ़ में और बॉम्बे में भी

पी. डब्ल्यू. 87 ने अपना परिचय ए-1 और ए-3 के मित्र के रूप में दिया था।

सह-षड्यंत्रकारी था और ए-1 और ए-2 की सहायता कर रहा था, जैसा कि उसके लेख में कहा गया है। इकबालिया बयान "।

(जोर दिया गया)

33. अजय अग्रवाल बनाम। भारत संघ और अन्य ", भूमिका

घ. षड्यंत्र के क्रमिक चरणों में विभिन्न अभियुक्तों द्वारा और अन्य सदस्यों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए दायित्व का विस्तार करने के लिए

जब सह-षड्यंत्रकारियों पर विचार किया जाता था तो वंशवाद को निश्चित किया जा सकता था

अदालत। निम्नलिखित टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैं:

" 24. इस प्रकार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य या अवैध माध्यमों से कानूनी कार्य करने का समझौता आपराधिक साजिश है। यदि समझौता कोई अपराध करने के लिए समझौता नहीं है, तो यह साजिश के बराबर नहीं है जब तक कि समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया जाता है। जैसे ही मन की बैठक होती है और साजिशकर्ताओं के बीच उस अवैध कार्य या अवैध माध्यमों से कानूनी कार्य करने के उद्देश्य की एकता होती है, अपराध पूरा हो जाता है। षड्यंत्र अपने आप में एक ठोस अपराध है और यह उस अपराध से अलग है जिसे करने के लिए षड्यंत्र किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य साजिश अलग है।

साजिश के अपराध को निष्पादित करते समय किए गए अलग-अलग अपराधों की संख्या से। प्रत्येक अधिनियम साजिश से स्वतंत्र, दंडनीय अलग अपराध का गठन करता है। कानून ने कई या अलग-अलग मॉडल या तकनीकों का विकास किया था। षड्यंत्र। ऐसा ही एक मॉडल एक श्रृंखला का है, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे की जानकारी के बिना भी ऐसी भूमिका निभाता है जो साजिश के आपराधिक उद्देश्यों को पूरा करने में सफल पक्षों की सहायता करता है। एकल षड्यंत्र का एक उदाहरण, इसके भाग एक श्रृंखला में लिंक के रूप में एक साथ बंधे हुए हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिक्री के लिए नशीले पदार्थों या अवैध विदेशी दवा की खरीद और वितरण की प्रक्रिया है। ऐसे मामले में, तस्करों, बिचौलियों और खुदरा विक्रेताओं को मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण की एक ही साजिश की जानकारी होती है। तस्करों को पता था कि बिचौलियों को खुदरा विक्रेताओं को बेचना चाहिए और खुदरा विक्रेताओं को पता था कि बिचौलियों को किसी न किसी के आयातकों से खरीदना चाहिए। इस प्रकार श्रृंखला के एक छोर पर साजिशकर्ताओं को पता था कि गैरकानूनी व्यवसाय अपने खरीदारों के साथ नहीं रुकेगा, और न ही रुक सकता है; और दूसरे छोर पर रहने वाले लोग जानते थे कि यह उनके बसने वालों के साथ शुरू नहीं हुआ था। अभियुक्त ने सभी भागों में एक उद्यम शुरू किया जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी और इस अर्थ में सहायक था कि जिस भाग से वह तुरंत संबंधित था, उसकी सफलता समग्र की सफलता पर निर्भर थी। इसे हब में एक स्पोक के रूप में भी माना जाना चाहिए। एक ही साजिश में सभी स्पोक्स को एक साथ बांधने के लिए एक रिम है।

यह भौतिक नहीं है कि एक रिम केवल तभी पाया जाता है जब इस बात का प्रमाण हो कि प्रत्येक बोलने वाला एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानता था, लेकिन यह कि सभी ने किसी एक अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बढ़ावा दिया। एकल समझौते की पारंपरिक अवधारणा भी मोहम्मद इरफान बनाम को समायोजित कर सकती है।

ऐसी स्थिति जहाँ एक अच्छी तरह से परिभाषित समूह करने की साजिश करता है

इसे देश बी में तीसरे को सौंपता है जो एक स्थान पर प्रत्यारोपण करता है जहाँ डी अक्सर आता है और रिमोट कंट्रोल से विस्फोट हो जाता है। डी मारा जा सकता है या भाग सकता है या फैल सकता है। साजिश तब तक जारी रहती है जब तक कि इसे देश बी में निष्पादित नहीं किया जाता है या निराश नहीं किया जाता है। इसलिए, यह एक निरंतर कार्य है और सभी देश बी में साजिश के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि पहले दो धारा 120-बी की सहायता से हत्या के लिए उत्तरदायी हैं और अंतिम आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत उत्तरदायी है, जैसा भी मामला हो। षड्यंत्र को एक बैनर के नीचे एक मार्च माना जा सकता है और एक व्यक्ति बिना किसी आवश्यकता के मार्च में शामिल हो सकता है या बाहर निकल सकता है।

बैनर पर पाठ में परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के समुदाय में, इन दिनों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध करना एक सामान्य विशेषता है। षड्यंत्र का अपराध एक उपयोगी हथियार होगा और नगरपालिका के कानूनों में कोई टकराव नहीं होगा और ऐसे अपराधों के लिए दोषी या बरी होने का सिद्धांत लागू होगा। राष्ट्रों के समुदाय का कर्तव्य है कि वे साजिशकर्ताओं को देश की क्षेत्रीय सीमाओं पर पैर रखते ही पकड़ लें और अपराध को शुरुआत में ही समाप्त कर दें। 25. इस प्रकार एक साजिश एक निरंतर अपराध है और जहां भी साजिशकर्ताओं में से कोई एक कार्य या कृत्यों की श्रृंखला करता है, वह बना रहता है और किया जाता है। जब तक इसका प्रदर्शन जारी रहता है, यह एक निरंतर अपराध है जब तक कि इसे निष्पादित या रद्द नहीं किया जाता है या पसंद या आवश्यकता से निराश नहीं किया जाता है। समझौता होते ही अपराध पूरा हो जाता है, लेकिन यह अभी की बात नहीं है। यह समझौता करने के साथ समाप्त नहीं होता है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसके दो या दो से अधिक पक्ष इस योजना को लागू करने का इरादा रखते हैं। इसकी निरंतरता उस समाज के लिए एक खतरा है जिसके खिलाफ इसका उद्देश्य था और जैसे ही वह क्षेत्राधिकार उचित रूप से ऐसा करने की शक्ति का दावा कर सकता है, उससे निपटा जाएगा। विदेश में बनाई गई या सहमत साजिश का वही प्रभाव होगा जो भारत में होता है, जब समझौते के अनुसार अधिनियमों के एक हिस्से को अंतिम रूप देने या करने, प्रयास करने या यहां तक कि निराश करने और इसके विपरीत करने पर सहमति होती है।

(जोर दिया गया)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. यदि अभिलेख पर तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो यह सामने आता हैः

अ)

10.12.2003 पर, जब घर पर एक बैठक आयोजित की गई थी

चिंतामणि में फिरोज के कार्यक्रम में ए-1, ए-2, ए-4 और ए-6 सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

अभियोजन गवाह।

ख)

बैठक के कार्यवृत्त, जैसा कि अनुच्छेद 17 में निर्धारित किया गया है विचारण न्यायालय के निर्णय ने उस इरादे और उद्देश्य का खुलासा किया जिसके साथ बंदूकें और बम जैसी सामग्री की खरीद या संग्रह किया जाना था।

(ग)

कार्यवृत्त के नीचे संलग्न हस्ताक्षर साबित हुए पी. डब्ल्यू.-67, सैयद असगर इमाम, हस्त लेखन विशेषज्ञ।

विचाराधीन दिन पर चिंतामणि में ए-1 की उपस्थिति

(घ)

पूरी तरह से स्थापित। उनकी उपस्थिति मान ली जाती है

इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वे स्थानीय व्यक्ति नहीं थे।

विचाराधीन दिन पर ए-1 की उपस्थिति का विज्ञापन किया गया था

ई)

अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों द्वारा। यह सच है कि इन साक्ष्यों के अलावा, ए-1 के खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं बताया जा सकता है, लेकिन पूरी योजना के लिए प्रेरक शक्तियों में से एक के रूप में योजना में उनकी भागीदारी,

काफी स्पष्ट था।

च)

के कार्यवृत्त से प्रकट किया गया इरादा और उद्देश्य

बैठक को बाद की बैठकों में आगे बढ़ाया गया।

जी)

दूसरे से और उसके कहने पर की गई वसूली

अभियुक्तों से पता चलता है कि पहली बैठक में चर्चा किए गए इरादे और उद्देश्य को इन अभियुक्तों द्वारा हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण और कब्जे के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था।

ज)

उनसे जिस तरह की सामग्री बरामद की गई है, वह खुद ही दिखाती है संभावित खतरा। अधिग्रहण और कब्जे का कारण या उद्देश्य दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था

ऐसी संभावित खतरनाक सामग्री।

ये तथ्य न केवल यह दर्शाते हैं कि षड्यंत्र के मूल तत्व अच्छी तरह से स्थापित हैं, बल्कि ए-1 की संलिप्तता को भी साबित करते हैं। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित के अनुसार, ए-1 केवल उस दौर में दायित्व से बच नहीं सकता है जब कोई हथियार और गोला-बारूद या कोई भड़काऊ सामग्री न हो।

वास्तव में उससे प्रकृति बरामद की गई थी।

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

35. हमें, इस स्तर पर, ए-1 के आधे अग्रिम तीन प्रस्तुतियों से निपटना चाहिए।

ए) दिनांकित पहली बैठक के कार्यवृत्त कन्नड़ भाषा में लिखे गए थे, जिसके अंत में ए-1 सहित सभी संबंधित लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जैसा कि जाँच अधिकारी ने स्वीकार किया, ए-1 कन्नड़ भाषा नहीं समझता था। अतः, ए-1 पर दायित्व निर्धारित करने के लिए उक्त दस्तावेज़ की विश्वसनीयता के बारे में एक गंभीर आपत्ति उठाई गई थी।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रासंगिक दिन पर चिंतामणि शहर में ए-1 की उपस्थिति अच्छी तरह से स्थापित थी। यह तथ्य कि सभी संबंधित अभियुक्त उस दिन पीडब्लू-4 के घर में एकत्र हुए थे, भी स्थापित हो गया। बैठक में चर्चा का सार और यह तथ्य कि कुछ गवाहों द्वारा इसे उचित नहीं पाया गया, गवाहों की गवाही में भी उल्लेख पाया गया। हस्ताक्षर विशेषज्ञ ने हस्ताक्षर को ए-1 का पाया। परिसर में, केवल यह निवेदन किया जा सकता है कि अभियुक्तों के हस्ताक्षर बाद में बिना किसी आधार के प्राप्त किए गए थे।

मनोरंजन किया। हस्ताक्षर निश्चित रूप से किए गए थे अभियोजन द्वारा सुझाई गई परिस्थितियाँ।

इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

ख) अगला निवेदन पहली बैठक और कुछ अभियुक्तों से हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी के बीच के अंतर के संबंध में था। यह रेखांकित किया गया कि इन दोनों परिस्थितियों के बीच लगभग तीन साल का अंतराल था और इस बात पर जोर दिया गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस अंतराल के दौरान, ए 1 किसी भी आरोपी के संपर्क में था या हथियारों और विस्फोटकों की खरीद में उसकी कोई भूमिका थी, जो अंततः संबंधित आरोपी द्वारा किए गए खुलासों के अनुसार बरामद किए गए थे। साजिश, जिसकी बुनियादी विशेषताओं को 2003 की पहली बैठक में संरचित किया गया था, एक निरंतर था; जो बाद की बैठकों के कार्यवृत्त और अनुवाद से स्पष्ट है

हथियारों और विस्फोटकों की खरीद का इरादा। यह न तो कहा जा सकता है कि वह धागा जो बाद में चल रहा था

घटनाओं और परिस्थितियों को तोड़ दिया गया था या कि बीच की कड़ी

पहली बैठक और उसके बाद के चरण किसी भी तरह से थे

फट गया।

इसलिए, प्रस्तुतिकरण अस्वीकृति का आह्वान करता है।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और यह कि ए-1 चिंतामणि के पास गया था (सुविधा संकलन का पृष्ठ 197) अभियुक्त को उसकी जाँच में रखा गया था संहिता की धारा 313। इन प्रश्नों ने निश्चित रूप से ए-1 का ध्यान उनके खिलाफ परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया। हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय के बारे में ठोस साक्ष्य, जिसमें पहली बैठक के कार्यवृत्त के नीचे ए-1 के हस्ताक्षर पाए गए थे और चिंतामणि में बैठक के बारे में परिस्थितियाँ और ए-1 चिंतामणि के पास गया था, इस प्रकार अभियुक्त को दिए गए। इसलिए, तत्काल प्रस्तुत करना स्वीकृति के योग्य नहीं है।

36. अभिलेख पर स्थापित तथ्यों के आलोक में विचार किया जाने वाला अगला प्रश्न अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति के बारे में है। मीर हसन खान बनाम राज्य "मामले में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसे एक पीठ ने नोट किया था।

नवजोत संधू के मामले में इस अदालत के दो न्यायाधीशों की ओर से, अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अभिलेख पर सामग्री को पूरा नहीं करती है "युद्ध छेड़ने" की आवश्यकता और इसके परिणामस्वरूप आई. पी. सी. की धारा 121-ए के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

नवजोत संधू 1 1 में निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा हैः

269. मीर हसन खान बनाम मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय। राज्य 20 इस बात का उदाहरण है कि कौन से कार्य युद्ध छेड़ने का गठन नहीं करते हैं। यह एक ऐसा मामला था जिसमें उनके एक सहयोगी को दी गई सजा से उत्पन्न आक्रोश के कारण पुलिस बलों के कुछ वर्गों के बीच विद्रोह हुआ था। आई. पी. सी. की धारा 121 के तहत मुख्य रूप से दोषसिद्धि थी

17 * AIR 1951 पटना 60 = 1951 Cr.L.J. 462। * ए. आई. आर. 1951 पटना 60 = 1951 Cr.L.J.462 में निर्णय मीर हसन के रूप में बताया गया है।

खान बनाम। राज्य। यही निर्णय 1951 Cr.LJ 462 में रामानंद बनाम के रूप में बताया गया है। राज्य। बाद के कुछ निर्णयों में इसे या तो मीर हसन खान बनाम के रूप में संदर्भित किया गया है। राज्य या रामानंद बनाम। राज्य।

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

इस तथ्य के आधार पर कि आरोपी उन लोगों में से थे जिन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और प्रतिरोध में भी भाग लिया

जिसे सैनिकों के सामने रखा गया था। दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया और शियरर, जे द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गईं। : (एयर पी। 63)

" 'युद्ध छेड़ना' अभिव्यक्ति का अर्थ है और मेरा मानना है कि इसका अर्थ केवल 'युद्ध में सामान्य तरीके से युद्ध छेड़ना' हो सकता है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आरोप पर दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए, यह नहीं है यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आरोपित व्यक्तियों ने एक शस्त्रागार प्राप्त करने का षड्यंत्र किया है और जब इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, तो राजा के सैनिकों के खिलाफ इस तरह से प्राप्त राइफलों और गोला-बारूद का उपयोग किया जाता है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि शस्त्रागार की जब्ती एक नियोजित अभियान का हिस्सा था और राजा के सैनिकों का विरोध करने का उनका इरादा था

इन सैनिकों को पराजित करें और फिर आगे बढ़ें और किसी भी विरोध को कुचल दें जिससे वे मिल सकते हैं जब तक कि आंदोलन के नेता सरकारी तंत्र पर कब्जा करने में सफल नहीं हो जाते या जब तक कि वे अपने नेताओं की मांगों को स्वीकार नहीं कर लेते।

उनके पास कई दिनों तक गया में शस्त्रागार था और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि वे इसे आगे के संचालन के लिए आधार के रूप में उपयोग करने का इरादा नहीं रखते थे। 271. अगला सवाल यह है कि क्या साजिश के अनुसार मारे गए आतंकवादियों द्वारा किए गए साहसी और भयानक कार्य, आईपीसी की धारा 121 के तहत दंडनीय युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने के बराबर हैं और क्या साजिशकर्ताओं को धारा 121 या 121-ए या दोनों के तहत दंडित किया जा सकता है।

272. धारा 121 और 121-ए "राज्य के खिलाफ अपराध" अध्याय में आते हैं। सार्वजनिक शांति भंग होती है और सरकार के सामान्य मार्ग ऐसे अपराधों से बाधित होते हैं जो [2022] 10 एस. सी. आर.

इनका उद्देश्य सरकार के अधिकार को नष्ट करना या संवैधानिक तंत्र को पंगु बनाना है। क्रिया "मजदूरी" से पहले अभिव्यक्ति "युद्ध" अर्थ के कई रंगों को स्वीकार करती है और सटीकता के साथ एक परिभाषा की अवहेलना करती है, हालांकि यह भारतीय कानून आयुक्तों के लिए एक स्पष्ट वाक्यांश प्रतीत होता है जो

1847 में दंड संहिता के मसौदे की जांच की गई। विधि आयुक्तों ने कहाः

" हम 'सरकार के खिलाफ मजदूरी युद्ध' शब्द की कल्पना स्वाभाविक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो सरकार की अवज्ञा में खुद को उसी तरह और उसी तरह से एक विदेशी के रूप में प्रस्तुत करता है।

दुश्मन ऐसा करेगा, और हमें ऐसा लगता है, हम मानते हैं कि यह कोड के लेखकों के लिए किया गया था कि शब्द की कोई भी परिभाषा

असंदिग्ध अनावश्यक होगा। "

273. "भारत सरकार" अभिव्यक्ति को 1950 के कानून आदेश के अनुकूलन द्वारा "रानी" अभिव्यक्ति के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

धारा 121 अब पढ़ती है

" 121. जो कोई भी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है, या ऐसा युद्ध छेड़ने में मदद करता है, उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, और

जुर्माना भी लगाया जाएगा।

274. धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश के लिए धारा 121-ए और अधिकतम के तहत सजा दी जाती है।

सजा आजीवन कारावास हो सकती है। धारा 121-ए का दूसरा अंग आपराधिक बल या आपराधिक बल, केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के प्रदर्शन के माध्यम से भयभीत करने की साजिश है। धारा 121-ए के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई कार्य या अवैध चूक हो।

षड्यंत्र के अनुसार, उक्त अपराध का गठन करने के लिए।

275. स्थापित सरकार को भयभीत करने के लिए युद्ध, आतंकवाद और हिंसक कृत्यों में कई चीजें समान हैं। उन्हें अलग करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, युद्ध की अवधारणा।

धारा 121 में अंतर्निहित दो या दो से अधिक शत्रु देशों द्वारा और उनके बीच सैन्य अभियानों से जुड़े अंतर-देशीय युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। धारा 121 का उद्देश्य युद्धरत राष्ट्र के युद्धबंदियों को दंडित करना नहीं है। प्रावधान के विधायी इतिहास और पूर्व मोहम्मद इरफान बनाम के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अभिव्यक्ति की समझ के अलावा।

कर्नाटक राज्य

[उदय उमेश ललित, जे।]

स्वतंत्रता दिवस, धारा 121 का चित्रण ही इसे बनाता है

यह स्पष्ट करें कि धारा 121 द्वारा परिकल्पित "युद्ध" दो राष्ट्रों के बीच पारंपरिक युद्ध नहीं है। भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह का आयोजन करना या उसमें शामिल होना भी युद्ध का एक रूप है। विद्रोह "जैसा कि शब्दकोशों में परिभाषित किया गया है और जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, सत्ता में सरकार या नागरिक अधिकारियों के खिलाफ निर्देशित एक समूह द्वारा हिंसक विद्रोह को दर्शाता है। विद्रोह, क्रांति और गृहयुद्ध "

नागरिक अशांति के विकास में प्रगतिशील चरण हैं जिनका सबसे प्राथमिक रूप "विद्रोह" है-वाइड पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयर इंक. v. Aetna Cas & Sur Co.[1]8 (पी पर FR 2d। 1017)। विद्रोह का कार्य युद्धोन्माद से अलग है। होना ही चाहिए।

यह स्पष्ट किया गया कि विद्रोह केवल "युद्ध" अभिव्यक्ति का उदाहरण है और उपरोक्त संदर्भित पुराने अंग्रेजी अधिकारियों से यह देखा जाता है कि यदि वे शासक या सरकार के अधिकार को कमजोर करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो यह विद्रोह के समान स्थितियों को शामिल करेगा।

276. सर जे. एफ. स्टीफन ने ठीक ही कहा हैः

" गैरकानूनी सभाएं, दंगे, विद्रोह, विद्रोह, युद्ध करना ऐसे अपराध हैं जो एक-दूसरे के खिलाफ होते हैं और पूरी तरह से निश्चित सीमाओं से चिह्नित होने में सक्षम नहीं होते हैं। इन सभी में एक समान विशेषता है, अर्थात्, प्रत्येक मामले में एक सभ्य समाज की सामान्य शांति है।

उल्लिखित, या तो वास्तविक बल से या कम से कम प्रदर्शन और इसकी धमकी से परेशान।

277. इस सूची में "आतंकवादी कृत्यों" को जोड़ा जाना चाहिए जो आजकल बहुत विशिष्ट हैं। यद्यपि प्रत्येक आतंकवादी कृत्य युद्ध छेड़ने के बराबर नहीं है, लेकिन कुछ आतंकवादी कृत्य भी हो सकते हैं।

युद्ध छेड़ने का अपराध और दोनों के बीच कोई द्वंद्व नहीं है। आतंकवादी कृत्य स्वयं को युद्ध के कृत्यों में प्रकट कर सकते हैं। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, राज्य/सरकार के संप्रभु प्राधिकरण पर हमला करने के इरादे से प्रेरित आतंकवादी कृत्य, युद्ध छेड़ने के समान हैं, चाहे इसमें शामिल संख्या या नियोजित बल कुछ भी हो।

278. यह देखा गया है कि पोटा की धारा 3 (1) का पहला अंग -

" एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से भारत के लोगों या किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के लिए

एफ. आर. 2 डी 989 (2 एन. डी. सिर, 1974)

लोग बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके कोई भी कार्य या कार्य करते हैं।

या अन्य घातक हथियार या जहर या हानिकारक गैस या अन्य रसायन या खतरनाक प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) या किसी अन्य माध्यम से।

जो भी हो "

और युद्ध छेड़ने के कार्यों में अतिव्यापी विशेषताएं हैं। हालांकि, शत्रुता या इरादे की डिग्री और किए गए या किए जाने का प्रयास किए गए कार्यों का परिमाण क्रम में कुछ प्रासंगिकता ग्रहण करेगा।

यह विचार करने के लिए कि क्या आतंकवादी कृत्य युद्ध की स्थिति को जन्म देते हैं। फिर भी, सीमांकन रेखा किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं है, बहुत कम पारदर्शी है। यह अक्सर डिग्री में अंतर होता है। यदि आपराधिक बल के माध्यम से सरकार को परेशान करने के उद्देश्य से किए गए कृत्यों के साथ आतंकवादी कृत्यों की तुलना की जाती है तो यह अंतर कम हो जाता है। बाद वाला अपराध करने की साजिश धारा के अंतर्गत आती है।

121 - ए.

279. यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में भी,

युद्ध की कोई मानक परिभाषा नहीं है। प्रो. एल. ओपेनहेम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में संक्षिप्तता और शब्दों के चयन द्वारा चिह्नित एक परिभाषा दी है। विद्वान लेखक ने कहाः युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अपने सशस्त्र बलों के माध्यम से एक दूसरे पर हावी होने और शांति की ऐसी शर्तों को लागू करने के उद्देश्य से एक विवाद है जो विजेता को पसंद हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्षेत्र के विशेषज्ञ योराम डिनस्टीन ने निम्नलिखित शब्दों में उक्त परिभाषा का विश्लेषण कियाः

" युद्ध के बारे में ओपेनहेम के दृष्टिकोण में चार प्रमुख घटक तत्व हैंः (i) कम से कम दो राज्यों के बीच विवाद होना चाहिए, (ii) उन राज्यों के सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है, (iii) उद्देश्य दुश्मन पर हावी होना चाहिए (साथ ही विजेता की शर्तों पर शांति लागू करना); और यह निहित हो सकता है, विशेष रूप से एक-दूसरे के शब्दों से,

और (iv) दोनों पक्षों के सममित होने की उम्मीद है, हालांकि

बिल्कुल विपरीत, लक्ष्य।

विद्वान लेखक ने टिप्पणी की कि ओपेनहेम पूरी तरह से सही था

अपनी परिभाषा से गृह युद्धों को बाहर करने में। श्री डिनस्टीन ने निम्नलिखित शब्दों में "युद्ध" की परिभाषा का प्रयास कियाः

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

" युद्ध या तो तकनीकी या भौतिक अर्थों में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक शत्रुतापूर्ण बातचीत है। तकनीकी अर्थों में युद्ध एक औपचारिक स्थिति है जो युद्ध की घोषणा से उत्पन्न होती है। भौतिक अर्थों में युद्ध सशस्त्र बल के वास्तविक उपयोग से उत्पन्न होता है, जो कम से कम एक पक्ष की ओर से व्यापक होना चाहिए।

संघर्ष "।

280. अंतर्राष्ट्रीय कानून में, हमारे पास अघोषित युद्ध, सीमित युद्ध, युद्ध जैसी स्थिति की संबद्ध अवधारणाएं हैं, जिनकी बारीकियां हैं - तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है।

281. इसमें कोई संदेह नहीं है कि युद्ध छेड़ने के अपराध को दंड संहिता में युद्ध लगाने की अवधारणा के अनुसार जोड़ा गया था।

राजद्रोह के अंग्रेजी क़ानून, जिनमें से पहला 1351 ईस्वी का है। आंग हला बनाम से शुरू होने वाले स्वतंत्रता पूर्व दिनों के लगभग सभी भारतीय उच्च न्यायालयों के फैसलों में ऐसा कहा गया है।

सम्राट "। नजीर खान के मामले में इस अदालत ने विशेष रूप से ऐसा कहा था

पैरा 35 में शब्द और पुराने अंग्रेजी मामलों में परिच्छेदों से व्यापक रूप से उद्धृत। राजद्रोह पर सर माइकल फोस्टर के प्रवचन और उसमें निर्दिष्ट उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अंश

रतनलाल के अपराध कानून में भी पाए जाते हैं। इसलिए, हमें धारा 121 में होने वाली "मजदूरी युद्ध" अभिव्यक्ति को मोटे तौर पर उसी अर्थ में समझना चाहिए जिसमें इसे राजद्रोह क़ानून में संबंधित अभिव्यक्ति से निपटने के दौरान इंग्लैंड में समझा गया था। हालाँकि, हमें अभिव्यक्ति को स्वतंत्र भारत के लोगों की नज़रों से देखना होगा और हमें पुराने निर्णयों में की गई टिप्पणियों के दायरे को बहुत व्यापक रूप से संशोधित और सीमित करना होगा।

ताकि लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप हो और

हमारे काम करने से जुड़ी समकालीन परिस्थितियाँ

लोकतंत्र। मैन्सफील्ड, एल. सी. जे. द्वारा गढ़ा गया और विभिन्न भाषाओं में दोहराया गया वाक्यांश "सामान्य सार्वजनिक प्रकृति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए"

अंग्रेजी और भारतीय निर्णयों में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं किया जाना चाहिए

वर्तमान संदर्भ।

282. ऊपर उल्लिखित मामलों और टिप्पणियों में पाए गए विभिन्न अंशों के विश्लेषण पर, हम किन मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं?

पार आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सरकार की अवज्ञा करने या उसके खिलाफ खड़े होने के पीछे की मंशा या उद्देश्य है। जैसा कि फोस्टर ने कहा,

1931 रंग 235: आईएलआर 9 रंग 404 (एसबी)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" असली कसौटी यह है कि क्या दलों ने एक साथ आना बंद कर दिया? दूसरे शब्दों में, सरकारी तंत्र के खिलाफ निर्देशित युद्ध जैसे अभियानों का इरादा और उद्देश्य एक महत्वपूर्ण मानदंड है। यदि उद्देश्य और उद्देश्य किसी निजी और विशेष उद्देश्य के विपरीत सार्वजनिक और सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शासक या सरकार के संप्रभु प्राधिकरण पर हमला करना है, तो यह युद्ध छेड़ने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। बेशक, उद्देश्य को बल के उपयोग से प्राप्त करने का इरादा होना चाहिए और

सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए तैनात सरकारी सैनिकों या सशस्त्र कर्मियों की अवज्ञा करके। हालाँकि सरकार के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की तैयारी करने का तरीका नियमित युद्ध की तैयारी के समान हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है।

कहा कि बल की संख्या, जिस तरह से वे व्यवस्थित हैं,

सशस्त्र या सुसज्जित होना कोई मायने नहीं रखता है। यहां तक कि सीमित संख्या में लोग जो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना शक्तिशाली विस्फोटक और मिसाइल ले जाते हैं, वे भी सामान्य हथियारों या आग्नेयास्त्रों से लैस व्यक्तियों के एक बड़े समूह की तुलना में अधिक विनाशकारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। फिर, दूसरा तय प्रस्ताव यह है कि आम तौर पर युद्ध से जुड़ी धूमधाम और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है जैसे कि अपराधी।

स्वयं को युद्ध की रेखा में बनाते हुए और युद्ध जैसे तरीके से तैयार करते हुए। यहाँ तक कि सशस्त्र या अन्य लोगों को अभिभूत करने के लिए एक गुप्त अभियान

सरकार द्वारा तैनात कर्मी और एक कमांडिंग स्थिति प्राप्त करने के लिए जिसके द्वारा सरकार को शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, युद्ध छेड़ने का एक कार्य हो सकता है।

283. जबकि ये युद्ध छेड़ने के स्वीकार्य मानदंड हैं, हम

पुराने अंग्रेजी और भारतीय से खुद को अलग करना चाहिए। अधिकारी इस हद तक कि वे सामान्य सार्वजनिक प्रकृति या राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति की एक बहुत ही सामान्य परीक्षा निर्धारित करते हैं।

हम पहले ही इस परीक्षा को इसके शाब्दिक अर्थों में अपनाने और इसे वर्तमान समय के अनुरूप तरीके से समझने में आपत्ति व्यक्त कर चुके हैं। न्यायालय को एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने में सावधानी बरतनी चाहिए जिसका प्रभाव धारा 121 के दायरे में सार्वजनिक संपत्तियों आदि के विनाश के परिणामस्वरूप सभी विधिरहित और हिंसक कृत्यों और सशस्त्र लोगों के हिंसक प्रतिरोध के सभी कृत्यों को लाने पर हो। कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी। जिस क्षण यह पाया जाता है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है वह सामान्य सार्वजनिक प्रकृति का है या इसका राजनीतिक रंग है, सशस्त्र बलों और सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ लक्षित आक्रामक हिंसक कृत्यों को मोहम्मद इरफान बनाम ब्रांड नहीं किया जाना चाहिए।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

युद्ध छेड़ने के कृत्यों के रूप में। "युद्ध छेड़ना" अभिव्यक्ति को इतना आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि जनता को बाधित करने के सभी कृत्यों को माना जा सके। व्यवस्था और शांति, चाहे उनकी परिमाण और परिणाम कुछ भी हों, को सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के कृत्यों के रूप में माना जा सकता है। "युद्ध छेड़ने" की अभिव्यक्ति को समझने के लिए एक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, भले ही इसे लंबे समय से देखा गया हो। हिंसा के साथ एक संगठित आंदोलन

और एक अलोकप्रिय कानून को निरस्त करने या बोझिल करों को रोकने के लिए आंदोलन करते हुए सरकारी अधिकारियों और सशस्त्र बलों के खिलाफ हमलों को युद्ध लगाने के रूप में राजद्रोह के कृत्यों के रूप में देखा जाता था। हमें संदेह है कि क्या इस तरह का निर्माण आधुनिक समय के दृष्टिकोण और मानकों के अनुरूप है। एक अन्य पहलू जिस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, वह पुराने निर्णयों में किए गए अवलोकन के संबंध में है कि "न तो लगे हुए लोगों की संख्या, न ही नियोजित बल, और न ही हथियारों की किस प्रजाति के साथ वे सशस्त्र हो सकते हैं" वास्तव में युद्ध लगाने/छेड़ने के अपराध को साबित करने के लिए सामग्री है। यह बात लॉर्ड प्रेसिडेंट होप ने आर. वी. में कही थी। 1820 में हार्डी20 और इसी कथन की प्रतिध्वनि कई अन्य अंग्रेजी मामलों में और मगनलाल राधाकिशन बनाम के मामले में मिलती है। सम्राट 2 1

(पी. पर आकाशवाणी। 185)। लेकिन, हमारे विचार में, ये अप्रासंगिक कारक नहीं हैं।

वे निश्चित रूप से अदालत को यह विचार बनाने में मदद करेंगे कि क्या स्थापित लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा और योजना है या नहीं।

सरकार मौजूद है या अपराध उससे कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, हथियारों की मारक क्षमता या विनाशकारी क्षमता और

विस्फोटक जो व्यक्तियों के एक समूह द्वारा ले जाया जा सकता है बड़ा या छोटा, जैसा कि वर्तमान मामले में है, और हिंसा का पैमाना

निम्नलिखित कभी-कभी कार्रवाई की प्रकृति और आयाम के उपयोगी संकेतक बन सकते हैं। ये, अन्य कारकों के साथ मिलकर, युद्ध छेड़ने के अनुमान को जन्म दे सकते हैं।

284. एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक जो हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने का मामला है। भारत सरकार मारे गए आतंकवादियों और साजिशकर्ताओं द्वारा चुने गए हमले का लक्ष्य है और इसके द्वारा तत्काल उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। युद्ध का मैदान चुना गया था

संसद भवन परिसर। चुना गया लक्ष्य संसद था।

0) 1 राज्य टीआर एन. एस. 609,610 1946 नाग 173:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

- भारतीय गणराज्य की संप्रभुता का प्रतीक। जन-प्रतिनिधियों से मिलकर बना यह सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय भारतीय लोगों की एक विशाल भीड़ के भाग्य का मार्गदर्शन करता है। यह संप्रभु शक्ति का एक संवैधानिक भंडार है जो सामूहिक रूप से भारत के लोगों का है। परिषद के माध्यम से कार्यकारी सरकार

मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसदीय लोकतंत्र संविधान की एक बुनियादी और अविभाज्य विशेषता है। अत्याधुनिक हथियारों और शक्तिशाली विस्फोटकों के साथ संसद भवन में प्रवेश करना, ऐसे समय में जब संसद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य, उच्च अधिकारी और भारत सरकार के गणमान्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने और सरकार के कामकाज को अस्थिर करने के स्पष्ट विचार के साथ संसदीय कार्य करने के लिए एकत्र हुए थे और इस प्रक्रिया में संसद की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों को सशस्त्र युद्ध में शामिल करने का प्रयास करना, सभी उचित धारणाओं के अनुसार उचित है।

कानून और सामान्य ज्ञान, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। यह पूरा सुनियोजित अभियान सीधे हमारे गणराज्य के संप्रभु अधिकार और अखंडता पर हमला करना है, जिसका भारत सरकार एक अभिन्न अंग है। प्रयास किया गया संसद पर हमला भारत सरकार सहित राज्य की संप्रभु विशेषता पर एक निर्विवाद आक्रमण है जो इसका अहंकार है। इस तरह के हमले को किसी सार्वजनिक कार्यालय की इमारत पर आतंकवादी हमले या सार्वजनिक शांति भंग करने वाली घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है। मृतक आतंकवादियों को उकसाया गया और एक शक्तिशाली द्वारा कार्रवाई के लिए प्रेरित किया गया

नकली गृह मंत्रालय पर लेखन के रूप में भारत विरोधी भावना

कार पर पाया गया स्टिकर (एक्स. पीडब्लू-1/8) बताता है। मारे गए आतंकवादियों द्वारा ले जाए गए विशाल और शक्तिशाली विस्फोटक, परिष्कृत हथियार और गोला-बारूद, जो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए "फिदायीन" अभियानों में शामिल होने वाले थे, सदन के कैदियों के लिए गंभीर खतरे का एक स्पष्ट संकेत है। यदि नियोजित अभियानों को निष्पादित किया जाता, तो पूरे देश के लिए विनाशकारी होता। कई दिनों या हफ्तों तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती। अकल्पनीय वर्णन और तबाही के ऐसे आक्रामक कृत्यों ने सरकार और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए एक चुनौती पेश की होगी, जिनके संरक्षण के लिए

आज की सरकार खड़ी है। इसे केवल उन व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हताश कार्य के रूप में कम करके आंकना, जो निश्चित रूप से मृत्यु का सामना कर रहे थे, स्पष्ट वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना और व्यापक रूप से मोहम्मद इरफान बनाम को अपमानित करना है।

कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

आई. पी. सी. के मसौदों द्वारा चुनी गई "युद्ध की अभिव्यक्ति" का अर्थ। लक्ष्य, स्पष्ट उद्देश्य जिसके राजनीतिक और सार्वजनिक आयाम हैं और कठोर लोगों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली मुख्य "फिदायीन" सभी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध शुरू करने के इरादे का प्रदर्शन करते हैं। अपराध की प्रकृति का न्याय करने के लिए हमें इस तरह के अभियान की सफलता की संभावनाओं का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि पाँच

मारे गए आतंकवादियों को युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं के दर्जे तक "ऊंचा" नहीं किया जाना चाहिए। न ही हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार के इस तर्क का समर्थन करते हैं कि युद्ध छेड़ने के अपराध को जन्म देने के लिए, युद्ध के घोषित उद्देश्य और योजना

अपराध किसी अन्य प्राधिकारी के स्थान पर होना चाहिए भारत सरकार। विद्वान वकील के अनुसार,

अपराध को धारा 121 के तहत लाने के लिए संप्रभुता से वंचित करना अभियुक्त का व्यापक उद्देश्य होना चाहिए और वर्तमान मामले में इसका अभाव है। हम इस विवाद में कोई ताकत नहीं पाते हैं। मृतक का निस्संदेह उद्देश्य और दृढ़ संकल्प

आतंकवादियों को राष्ट्र और उसकी सरकार के संप्रभु अधिकार का उल्लंघन करना था। भले ही साजिश का उद्देश्य और उद्देश्य एक स्थापित सरकार के स्थान पर किसी अन्य प्राधिकरण या इकाई को स्थापित करने से कम है, यह हमारे विचार में विचलित नहीं करता है।

युद्ध छेड़ने के अपराध से। इसके लिए कोई आदेश नहीं है।

संक्षिप्त व्याख्या।

37. प्रस्तुतिकरण से निपटने से पहले, हम निकाल सकते हैं

चींटी प्रावधान। आई. पी. सी. की धारा 121 और 121-ए निम्नलिखित हैं:

भारत सरकार के खिलाफ युद्ध, या ऐसा करने का प्रयास युद्ध, या ऐसा युद्ध छेड़ने में सहायता करने वाले को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

दृष्टांत: ए सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो जाता है

भारत। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

121 ए. धारा द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश

121. — जो कोई भी भारत के भीतर या उसके बिना धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से किसी को करने की साजिश करता है, या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, [2022] 10 एस. सी. आर.

केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा। विवरण जो दस वर्ष तक हो सकता है, और उत्तरदायी भी होगा।

ठीक करने के लिए।

स्पष्टीकरण। इस धारा के तहत साजिश रचने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि कोई कार्य या अवैध चूक हो।

ओकर पालन "।

38. आई. पी. सी. की धारा 121 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या इस तरह का युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना अपराध है। इस अदालत ने नवजोत संधू 1 1 में "युद्ध छेड़ना" अभिव्यक्ति पर विचार किया था। नजीर खान के मामले में इस अदालत के फैसले का पैराग्राफ 34 भी इसी प्रभाव का था। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैः

" 34. "युद्ध छेड़ना" अभिव्यक्ति का अर्थ है और इसका अर्थ केवल युद्ध में सामान्य तरीके से युद्ध छेड़ना हो सकता है। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आरोप पर दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि आरोपित व्यक्तियों ने एक शस्त्रागार प्राप्त करने का षड्यंत्र किया है और जब उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, तो उन्होंने सरकारी सैनिकों के खिलाफ इस तरह से प्राप्त राइफलों और गोला-बारूद का उपयोग किया है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि शस्त्रागार की जब्ती एक हिस्सा था और एक नियोजित अभियान का अंश और यह कि सरकार के सैनिकों का विरोध करने का उनका इरादा इन सैनिकों को पराजित करना और पराजित करना था और फिर आगे बढ़ना और किसी भी विरोध को कुचलना था जिससे वे तब तक मिल सकते थे जब तक कि आंदोलन के किसी भी नेता को प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाते।

सरकार या जब तक इसके कब्जे वाले लोगों ने मांगों को स्वीकार नहीं किया

उनके नेताओं से।

39. हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 121-ए आई. पी. सी. की धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश से संबंधित है।

मीर हसन खान बनाम। राज्य (या रामानंद बनाम। राज्य) 1 7, पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस विशिष्टता को सामने लाया धारा 121 ए में निपटाए गए षड्यंत्रों के दोनों अंगों के बीच, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

मोहम्मद इरफान बनाम। कर्नाटक राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

" धारा 121 ए का सीमांत नोट "धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराध करने की साजिश" है। यह कड़ाई से सटीक था

उस धारा का विवरण जिसे मूल रूप से विधान परिषद में पेश किए गए विधेयक में अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया गया था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधेयक में जिन षड्यंत्रों को लक्षित किया गया था, वे या तो राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिशें थीं, जिस तरह से युद्ध छेड़ना सामान्य बात है या उद्देश्य के साथ विद्रोह करने की साजिशें थीं।

संविधान का उल्लंघन करना। हालाँकि, अंत में अधिनियमित इस धारा ने अन्य षड्यंत्रों को भी अपने दायरे में लाया और इसमें जो कुछ भी निहित है, उसका सटीक विवरण नहीं है। शब्द "आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से केंद्रीय को डराने की साजिश करता है।

सरकार या कोई भी प्रांतीय सरकार "स्पष्ट रूप से न केवल एक सामान्य विद्रोह को बढ़ाने की साजिश को गले लगाती है, बल्कि केंद्र सरकार या किसी भी प्रांतीय सरकार को डराने की साजिश को भी गले लगाती है। एक गंभीर दंगा या एक बड़ी और उथल-पुथल वाली गैरकानूनी सभा के संगठन द्वारा सरकार। संभवतः, विधेयक में धारा को संशोधित करते समय, विधान परिषद ने लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन 22 के मामले को ध्यान में रखा था। लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन ने खुद को एक बड़ी भीड़ के नेतृत्व में रखा जो कुछ कानूनों के अधिनियमन के विरोध में संसद के सदनों की ओर बढ़ी। इसका विरोध करने के बाद, भीड़ तितर-बितर हो गई, लेकिन इसके कुछ सदस्य लंदन शहर के विभिन्न हिस्सों में आक्रोश फैलाने के लिए आगे बढ़े। लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन पर उच्च राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया था, और उन्हें स्पष्ट रूप से इस कारण से बरी कर दिया गया था कि, जबकि उनका इरादा संसद के सदन के बाहर प्रदर्शन करने का था, वे इसके परिणामस्वरूप होने वाले विकारों में एक पक्ष नहीं थे। धारा 121 ए के एक अध्याय में आता है

दंड संहिता जिसका शीर्षक है "राज्य के खिलाफ अपराध" जबकि साजिश का अपराध पूर्ववर्ती अध्याय में निहित है,

अध्याय वी. ए. जिसका शीर्षक "आपराधिक षड्यंत्र" है। धारा 121 ए को लागू करने में विधायिका ने स्पष्ट रूप से 1848 के अंग्रेजी राजद्रोह अपराध अधिनियम को ध्यान में रखा था और मैं यह सोचने के लिए बहुत इच्छुक हूं कि इसे लागू करने में, षड्यंत्रों के अलावा अन्य षड्यंत्रों का उद्देश्य नहीं था, जिनका राजनीतिक उद्देश्य था, यानी मौजूदा संविधान को उखाड़ फेंकने की साजिशें या इसे रोकने के लिए साजिशें। ऐसे विधान का अधिनियमन जिसे अप्रिय माना जाता था या

किसी सदस्य या सदस्य को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करना

सरकार जो अलोकप्रिय हो गई थी। हालाँकि, जैसा कि धारा है, मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कुछ परिस्थितियों में जो व्यक्ति पुलिस कर्मियों या कुछ अन्य सार्वजनिक या नगरपालिका कर्मचारियों के बीच हड़ताल का आयोजन करते हैं, वे खुद को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके तहत मुकदमा चलाने के लिए। हालाँकि, स्पष्ट रूप से, व्यक्ति इस अपराध को तब तक नहीं करते जब तक कि यह आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से केंद्र या प्रांतीय सरकार को डराने की उनकी योजनाओं का हिस्सा न हो। "ओवरवे" शब्द दिखाई नहीं देता है

इस धारा को छोड़कर दंड संहिता में कहीं और

उसी अध्याय में एक और खंड (धारा 124)। राजद्रोह अपराध अधिनियम, 1848 में जो धारा 121 ए के लेखकों को प्रतीत होता है

मन में रहे हैं, उपयोग किए गए शब्द हैं:

" दोनों सदनों या किसी भी सदन को डराना या परेशान करना।

संसद " और वहाँ के शब्दों को शब्दों के साथ पढ़ा जाना चाहिए

उनके तुरंत पहले, जो हैं

" महामहिम को मजबूर करने के लिए बल या बाधा द्वारा

उसके उपाय या सलाह को बदलें। "

"अति भय" शब्द स्पष्ट रूप से आशंका या चेतावनी या यहाँ तक कि शायद भय के निर्माण से अधिक महत्व रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी स्थिति के निर्माण का संकेत है जिसमें केंद्र या प्रांतीय सरकार के सदस्य खुद को बल प्रयोग करने या खुद को उजागर करने के बीच चयन करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं।

आवश्यक है कि खतरा हत्या का खतरा होना चाहिए या खुद को शारीरिक चोट पहुँचाना। यह खतरा सार्वजनिक संपत्ति या सदस्यों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

आम जनता।

40. जैसा कि संबंधित खंड के पाठ से पता चलता है, वे व्यक्ति जो योजना बनाते हैं

केंद्र या राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा या

आपराधिक बल का प्रवेश करने के अपराध का दोषी होगा

आई. पी. सी. की धारा 121 ए के संदर्भ में विडंबना। शब्दकोश का अर्थ है अभिव्यक्ति "अति भय" भय की भावना के साथ वश में करना या रोकना।

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश।

सरकार लेकिन खतरा सार्वजनिक संपत्ति या आम जनता के सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी हो सकता है।
41. तत्काल मामले में साजिश, जिसका इरादा बैठकों के कार्यवृत्त और परिणामी अधिग्रहण से स्पष्ट था

उक्त षड्यंत्र के उद्देश्य और इरादे को प्रभावी बनाने के लिए हथियारों और विस्फोटकों का उपयोग, इस प्रकार आई. पी. सी. की धारा 121 ए में निपटाए गए षड्यंत्र के बाद के भाग के भीतर अच्छी तरह से आएगा। जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 121 ए के स्पष्टीकरण से पता चलता है, साजिश के अपराध के लिए, यह आवश्यक नहीं होगा कि कोई कार्य या अवैध चूक उसके अनुसरण में होनी चाहिए। इस प्रकार, भले ही साजिश के परिणामस्वरूप वास्तव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, फिर भी मामला आईपीसी की धारा 121 ए के चारों कोनों के भीतर आएगा।

इसलिए आई. पी. सी. की धारा 121 ए के तहत अभियुक्त के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

42. अब हम धारा 120-बी के आधार पर प्रस्तुति की ओर रुख कर सकते हैं।

आई. पी. सी. की धारा 116 के साथ पढ़ें। आई. पी. सी. की धारा 120-बी केवल तभी लागू होगी जब "इस तरह की साजिश की सजा के लिए इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है"। चूँकि विशेष प्रकार की साजिश के लिए एक स्पष्ट प्रावधान विशेष रूप से आई. पी. सी. की धारा 121 ए में किया गया है, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 120-बी में निहित प्रावधान का कोई उपयोग नहीं होगा। अतः प्रस्तुतिकरण अस्वीकृत होने के योग्य है।

43. अंतिम निवेदन यह था कि उच्च न्यायालय के लिए सजा की मात्रा को सात साल से बढ़ाने का कोई अवसर नहीं था

जिसे निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 121-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हमने इस निवेदन पर गंभीरता से विचार किया है। तत्काल मामले में खुलासा की गई साजिश, यदि इसे अंजाम दिया गया होता, तो आम जनता के सदस्यों के जीवन और कल्याण के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को भी बहुत नुकसान और पूर्वाग्रह होता। सार्वजनिक संपत्ति या आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की ऐसी साजिशों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों के अधिग्रहण पर विचार 902

ए के साथ-साथ डायरी एक्सएच द्वारा प्रकट किया गया इरादा। पी-92, और अभिलेख पर अन्य सामग्री, उच्च न्यायालय के बाद सजा बढ़ाने में सही था

उस ओर से राज्य द्वारा की गई अपील को स्वीकार करना।

44. इन परिस्थितियों में, हम अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इस तरह सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। निधि जैन (तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)